नवम्बर 2023

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

ग्रामीण भारत में प्रतिभा

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Publications Division is now on amazon.in

More than 400 live titles of books Available

- Rashtrapati Bhavan Series
- Gandhian Literature
- Indian History
- Personalities & Biographies
- Speeches and Writings
- Art & Culture
- Exam Preparation
- Children's Literature

Visit Our Store at Amazon.in

Scan this QR Code

Publications Division

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

Our publications are also available online at:

www.bharatkosh.gov.in

www.publicationsdivision.nic.in

For placing orders, please contact: Ph : 011-24365609, e-mail: businesswng@gmail.com

/publicationsdivision /dpd_india DPD_India YojanaJournal

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष : 70 ★ मासिक अंक : 1 ★ पृष्ठ : 52 ★ कार्तिक–अग्रहायण 1945 ★ नवम्बर 2023

प्रधान संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डी.के.सी. हृदयनाथ

आवरण : राजिन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
@publicationsdivision
@DPD_India
@dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क

वार्षिक साधारण डाक: ₹ 230

ट्रैकिंग सुविधा के साथ : ₹ 434

नोट : सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर तथा ई–पुस्तकों के लिए Google play या Amazon पर लॉग–इन करें।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी सूचना तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली–110003

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु ई–मेल : pdjucir@gmail.com या दूरभाष: 011–24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कॅरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

इस अंक में

ग्रामीण भारत में खेल प्रतिभा को बढ़ावा 5
-अनुराग ठाकुर

पीएम विश्वकर्मा योजना : कारीगरों का सशक्तीकरण 11
-एस.सी.एल. दास

शिक्षा में प्रौद्योगिकी और नवाचार का समावेशन 16
-जय प्रकाश पाण्डेय

सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहन 22
-भुवन भास्कर

स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण संबंधी प्रतिभा का विकास 31
-डॉ. आकांक्षा जैन

प्रतिभाओं की खोज के लिए डाक नेटवर्क 38
-अमन शर्मा

प्रतिभाओं से संपन्न ग्रामीण भारत 44
-अरविंद कुमार मिश्रा

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4–सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669

संपादकीय

ग्रामीण भारत समृद्ध कला ही नहीं बल्कि खेल प्रतिभाओं का भी विशाल भंडारगृह है जिसकी बानगी हाल ही में चीन में हांगझांऊ में आयोजित एशियाई खेल 2022 और एशियाई पैरा खेल 2022 में देखने को मिली। भारत को एक 'खेल राष्ट्र' के रूप में विकसित करने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में किए गए सार्थक प्रयासों से ही आज देश गौरव के इस क्षण का साक्षी बना है। भारत सरकार के इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी इस अंक की कवर स्टोरी में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री के लेख में समाहित है।

भारत अपनी विविध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री और विशाल भौगोलिक विस्तार के साथ समृद्ध ग्रामीण परिदृश्य से सम्पन्न है। हालांकि अपनी कृषि शक्ति और अपार संभावनाओं के बावजूद, ग्रामीण भारत लंबे समय से आर्थिक विकास और रोज़गार के अवसरों से जूझता रहा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक आशाजनक प्रवृत्ति उभरी है। ज़मीनी स्तर की उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की दिशा में कुछ सार्थक पहल ने ग्रामीण भारत को विकास की नई राह दिखाई है।

निसंदेह ज़मीनी स्तर की उद्यमिता में स्थानीय प्रतिभा को पोषित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और स्थायी आजीविका प्रदान कर न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने बल्कि ग्रामीण भारत में लाखों लोगों के जीवन को बदलने की अपार शक्ति है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना इस दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस अंक में ग्रामीण भारत के प्रतिभाशाली कारीगरों को सशक्त करने की दिशा में की गई इस पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव।

ग्रामीण भारत अंतर्निहित कौशल, पारंपरिक ज्ञान और नवीन विचारों वाले अनगिनत व्यक्तियों का संग्रहालय है। प्रशिक्षण, परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करके, ग्रामीण उद्यमी अपनी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और टिकाऊ व्यवसाय विकसित कर सकते हैं। सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी भी आपको इस अंक में पढ़ने को मिलेगी।

शिक्षा की प्रतिभा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। नई शिक्षा प्रणाली 2020 में कौशल और नवाचार को प्रोत्साहन देने सहित अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है जो निकट भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री की नए भारत की संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्वस्थ देश में ही प्रतिभाएं पोषित और विकसित होती हैं। इसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, हर घर नल से जल सहित फिट इंडिया, योग और भारतीय पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिसके चलते इन क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन की मांग बढ़ने से रोज़गार की अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं।

संक्षेप में, ज़मीनी स्तर की उद्यमशीलता में ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को गति देने की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि इस परिवर्तन के लिए सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र सहित सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। साथ मिलकर, हम ग्रामीण भारत को सशक्त बना सकते हैं, इसकी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं और सभी के लिए अधिक समावेशी और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।

ग्रामीण भारत में खेल प्रतिभा को बढ़ावा

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता न केवल एथलीटों को सशक्त बना रही है बल्कि शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने के साथ-साथ समुदायों के कल्याण को भी बढ़ावा दे रही है। नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ग्रामीण युवाओं को एक रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण मार्ग प्रदान करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा स्वस्थ और अधिक संतुष्टिदायक कार्यों की ओर उन्मुख होती है।

-अनुराग ठाकुर

कुछ सप्ताह पहले ही देश एक अत्यधिक दुर्लभ और विशिष्ट उपलब्धि का साक्षी बना। एशियाई खेलों के दबाव के बीच, पारुल चौधरी ने अपने जीवन की सबसे निर्णायक 30 मीटर दौड़ का सामना किया। जापान की शीर्ष धाविका रिरिका हिरोनाका से पीछे चल रही पारुल ने, पिछले दिन की दौड़ की थकान हावी होने के बावजूद, अप्रत्याशित प्रदर्शन किया। इस हृदयस्पर्शी क्षण में, उन्होंने हिरोनाका को पछाड़ दिया और 5000 मीटर दौड़ में न केवल स्वर्ण पदक अपने नाम किया बल्कि इतिहास में भी अपनी जगह बना ली। यह पारुल का खेलों में दूसरा पदक था, एक ऐसी उपलब्धि जो उन्हें खेल के इतिहास में प्रेरणा की किरण के रूप में अमर कर देगी।

28 वर्षीय एथलीट पारुल उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और उनके पिता मेरठ के पास इकलौता गाँव के एक छोटे किसान हैं। पारुल हमेशा से ही ट्रैक पर फाइटर रही हैं, 2011 में छोटी उम्र में ही वह अपने स्कूल में नंगे पैर दौड़ीं और 800 मीटर की दौड़ में भाग लिया। बाद में उन्होंने 1500 मीटर तथा 3000 मीटर दौड़ और फिर 5000 मीटर की दौड़ में भाग लेने का फैसला किया। यह इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण भारत उनके जैसी असाधारण प्रतिभाओं का पॉवरहाउस रहा है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने भारत को एक खेल राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए *खेलो इंडिया योजना, टॉप्स* (टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम) *योजना* आदि जैसी कई पहल की हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

ग्रामीण भारत में खेल

भारत में खेल लंबे समय से रोज़मर्रा की ज़िंदगी का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। भारत में संपन्न खेलों की उपस्थिति का समर्थन करने के लिए कई प्रमाण मौजूद हैं। हमारे रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में तीरंदाज़ी, कुश्ती, घुड़सवारी और रथदौड़ सहित खेलों के कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए तीरंदाज़ी हमेशा से एक बहुत लोकप्रिय खेल रहा है, जिसका इतिहास महाभारत काल से है; यह उस काल के प्रमुख युद्ध कौशलों में से एक था। परशुराम, द्रोण और अग्निवेश जैसे प्रतिष्ठित शिक्षकों ने तीरंदाज़ी

लेखक केंद्रीय युवा कार्यक्रम तथा खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, भारत सरकार हैं। ई-मेल : *office-moyas@gov.in*

को उच्चतम स्तर तक पहुँचाया और अपने छात्रों को अर्जुन की तरह प्रशिक्षित किया जो उत्कृष्ट तीरंदाज़ बन गए। हमारे देश को विश्व चैम्पियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय जीत हासिल हुई है।

तीरंदाज़ी की दुनिया में हुई सबसे बड़ी घटनाओं में से एक महिला तीरंदाज़ों का उद्भव और विकास है। हाल ही में एशियाई खेल 2022 में महिला तीरंदाज़ों ने 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीत कर हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। ग्रामीण भारत की ये युवा लड़कियाँ और महिलाएँ उनके लिए रोल मॉडल हैं, जो उनके जैसी हैं, समान पृष्ठभूमि से आती हैं और सफल होने के लिए चुनौतियों का सामना करती हैं। इन महिला तीरंदाज़ों ने पितृसत्ताओं के दृष्टिकोण को बदल दिया है, कई लैंगिक समानता की पैरोकार बन गई हैं और खेलों में लड़कियों को बढ़ावा दे रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को मज़बूत करने की पहल

भारत सरकार ने यह समझते हुए कि खेल में उत्कृष्टता की क्षमता की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक सतत अभियान आरंभ किया है। हाल के वर्षों में किए गए प्रयास, ग्रामीण भारत में खेल की संस्कृति को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है- *खेलो इंडिया योजना,* जिसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अपने पांच ऐसे कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देते हैं। खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर खेल कौशल का प्रदर्शन करने और प्रतिभा तलाशने का बुनियादी मंच है। यह गुणी और प्रतिभाशाली बच्चों को उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। इस योजना के 'टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट' घटक के तहत, खेलो इंडिया एथलीटों की पहचान की जाती है, उनका चयन किया जाता है और प्रति एथलीट प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 1.20 लाख आउट ऑफ पॉकेट भत्ता और 5.08 लाख रुपये में अन्य सुविधाएं जैसे कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता, आहार, उपकरण, उपभोग्य वस्तुएं, बीमा शुल्क आदि शामिल हैं।

यह योजना उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रव्यापी मंच प्रदान करके इनका पथ-प्रदर्शन भी करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय प्रासंगिक राष्ट्रीय खेल महासंघों, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय विश्वविद्यालय संघ जैसे विश्वविद्यालय खेल प्रोत्साहन संगठनों के सहयोग से, राष्ट्रीय स्तर की बहु-खेल प्रतियोगिताओं जैसे खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन करता है। मंत्रालय जल्द ही *खेलो इंडिया पैरा गेम्स* का आयोजन करने जा रहा है।

देश भर में खेले जाने वाले कई स्वदेशी खेल हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं। ये स्वदेशी खेल, जो कभी क्षेत्रीय ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित थे, अब *खेलो इंडिया* योजना की बदौलत पहचान हासिल कर चुके हैं और मुख्यधारा में आ गए हैं। *खेलो इंडिया योजना* का विशेष बल 'ग्रामीण, स्वदेशी और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने' पर है, ताकि इन खेलों को लोकप्रिय बनाया जा सके, जानकारी का प्रसार किया जा सके और इन खेलों के बारे में वर्तमान पीढ़ी की जिज्ञासा को बढ़ाया जा सके।

बच्चों और युवाओं को इन खेलों को प्रमुखता से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी ज़ोर दिया गया है, जिससे उनके मुख्यधारा में आने का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस पहल के माध्यम से मल्लखंब, कलारीपयट्टु, गतका, थांग-ता, योगासन और सिलंबम जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहचाना गया है और उन्हें एक राष्ट्रीय मंच मिला है, जो देश भर के खेल प्रेमियों का

ध्यान आकर्षित कर रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास, उपकरण सहायता, प्रशिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति के लिए अनुदान सहायता दी जाती है। इसके अलावा, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में मल्लखंब, कलारीपयट्टू, गतका, थांग-ता और योगासन को भी शामिल किया गया।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के ज़रिए यानी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), एसएआई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), एसटीसी का विस्तार केंद्र, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) - [नियमित स्कूलों, स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट (आईजीएमए) स्कूल और अखाड़ों के लिए अपनी उप-योजनाओं के साथ] के माध्यम से देश भर में विभिन्न खेल प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं जिससे विशेषज्ञ प्रशिक्षकों, खेल उपकरण, भोजन और आवास, खेल किट, प्रतियोगिता प्रदर्शन, शैक्षिक व्यय, चिकित्सा/बीमा और वज़ीफा जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन योजनाओं में शामिल विषयों में पारंपरिक भारतीय खेल जैसे कबड्डी, तीरंदाज़ी, कुश्ती, खो-खो आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, प्रदर्शन और प्रचार/पुनरुद्धार करने के लिए, इस मंत्रालय ने विभिन्न स्वदेशी खेलों जैसे गतका, रोल बॉल, टग ऑफ वॉर, कलारीपयट्टू, थांग-ता, खो-खो, मल्लखंब, शूटिंग बॉल, स्क्वे, कबड्डी, गिल्ली डंडा, सिक्किम तीरंदाज़ी, धूप खेल और कौड़ी खेल, छाऊ और पाइका अखाड़ा, अखाड़ा कुश्ती, हेक्को, मिज़ोरम खेल, सिलंबम, लागोरी और लंगड़ी के वृत्तचित्र भी बनाए हैं। वृत्तचित्रों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' वेबसाइट के डिजिटल भंडार, फिट इंडिया मूवमेंट के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल और MyGov India के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इंडोर और आउटडोर खेल कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित करने की पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया है और इन पहलों को सांसद खेल महोत्सव और सांसद खेल महाकुंभ के रूप में ब्रांड किया गया है। उनके आह्वान का उद्देश्य पूरे देश में एक जीवंत खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और उसको समृद्ध बनाना है। ऐसी गतिविधियों पर ज़ोर देना माननीय प्रधानमंत्री की खेल को हमारे देश के लोकाचार का एक अभिन्न अंग बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है जिनसे न केवल शारीरिक फिटनेस बल्कि नागरिकों के बीच खेल भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। सांसदों द्वारा किए गए इन प्रयासों ने स्थानीय प्रतिभाओं को सशक्त बनाने

एशियाई खेल 2022 में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने तीरंदाज़ी में तीन गोल्ड मेडल जीते।

और युवाओं को खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, जिससे एक स्वस्थ एवं अधिक सक्रिय भारत के निर्माण में योगदान मिला है।

उदाहरण के तौर पर सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण इसी साल जनवरी महीने में उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ था। इस खेल आयोजन में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल थीं जिनमें कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे इंडोर और आउटडोर खेल शामिल थे। इन खेलों के अलावा, निबंध लेखन, पेंटिंग और रंगोली बनाने जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में भी प्रतियोगिताएं हुईं।

ये खेल न केवल शारीरिक फिटनेस बल्कि रचनात्मकता और बौद्धिक कौशल को भी बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करते हैं। निबंध लेखन, पेंटिंग और रंगोली बनाने जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रतिभागियों को ग्रामीण युवाओं के बीच अपनी कलात्मक और साहित्यिक प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन विविध प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं के बीच समग्र विकास दृष्टिकोण को बढ़ावा देना तथा हितों के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल करना है, जहां वे, खेल और रचनात्मक प्रयासों, दोनों में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। यह पहल देश के सभी हिस्सों में प्रतिभावान व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा अभिव्यक्ति की संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

खेल अवसंरचना के विकास पर ज़ोर

खेल भारत के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वर्तमान में खेलों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे में सुधार करना या नया निर्माण करना केंद्र सरकार का प्रमुख फोकस क्षेत्र है। एथलेटिक प्रतियोगिताओं के मैदान के अतिरिक्त, ये सुविधाएं सशक्तीकरण, एकता और अवसर का केंद्र बन जाती हैं। वे युवा प्रतिभाओं को आवश्यक संसाधनों और प्रशिक्षण तक पहुँच प्रदान करते हैं जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें। इसके अलावा, खेल का बुनियादी ढांचा शारीरिक फिटनेस और कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की व्यापकता कम हो जाती है। दूरदराज के क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे में निवेश करके, हम न केवल खेल प्रतिभाओं का पोषण करते हैं, बल्कि स्वस्थ और अधिक जीवंत समुदायों का निर्माण भी करते हैं, शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे देश का हर भाग खेलों से लाभान्वित हो सके।

खेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण और उन्नयन *खेलो इंडिया योजना* का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में खेल के बुनियादी ढांचे में समग्र परिवर्तन करना है। शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड आवंटित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेडक ज़िले में 5.47 करोड़ रुपये की लागत से एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया गया है जो उत्तरी तेलंगाना में स्थित है। इससे क्षेत्र के स्थानीय एथलीटों को सशक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी। इसी प्रकार, राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में एक बहूद्देश्यीय हॉल 8 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है जिससे ग्रामीण राजस्थान में ज़मीनी स्तर पर खेल संस्कृति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2016-17 से, पूरे देश में खेल बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाने के लिए खेलो इंडिया योजना के 'खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन' वर्टिकल के तहत लगभग 2741 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

संतोषजनक वित्तीय प्रतिबद्धता देश भर में एथलीटों और उत्साही लोगों के लिए शीर्ष स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाती है। इस तरह के निवेश से न केवल खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार होता है बल्कि समग्र खेल पारिस्थितिकी तंत्र में भी सुधार होता है। यह विश्वस्तरीय स्टेडियमों, स्विमिंग पूल, प्रशिक्षण केंद्रों, एथलेटिक ट्रैक और बहूद्देशीय हॉल के विकास को सक्षम बनाता है, जिससे इच्छुक एथलीटों के लिए अपने कौशल को सुधारने और खेल जगत में समृद्ध होने के अवसर पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त, यह खेल और शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करके नागरिकों के बीच एक स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देता है। ये वित्तीय आवंटन खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति में सरकार के विश्वास का प्रमाण हैं और अधिक सक्रिय, स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी भारत का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

पारुल चौधरी

नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध उत्प्रेरक के रूप में खेल

युवाओं को खेलों में शामिल करने से महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलते हैं। साथ ही, यह देश के ग्रामीण हिस्सों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार, खेलों में निवेश करने से न केवल कुशल एथलीट तैयार होते हैं बल्कि ज़िम्मेदार, लचीले और नशामुक्त व्यक्तियों का भी विकास होता है, जो समाज में सार्थक योगदान देते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेल 2022 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल को संबोधित करते हुए, युवा पीढ़ी पर एथलीटों के प्रभाव को रेखांकित किया और उन्हें अधिक युवाओं के साथ जुड़ कर इस सकारात्मक ऊर्जा का सदुपयोग करने पर ज़ोर दिया। एथलीटों को स्कूलों का दौरा करने और बच्चों के साथ बातचीत करने के अपने सुझाव का स्मरण करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि एथलीटों को युवाओं में नशीली दवाओं की बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि ये दवाएं कैसे कॅरियर और जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि देश नशीली दवाओं के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध लड़ रहा है और उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि जब भी उन्हें मौका मिले, वे नशीली दवाओं और हानिकारक औषधि प्रयोग की बुराइयों के बारे में बताएं। उन्होंने युवाओं से नशीली दवाओं के विरुद्ध युद्ध को मज़बूत करने और नशामुक्त भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आगे आने का आग्रह किया।

खेल कश्मीरी युवाओं के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं। हाल ही में, *खेलो इंडिया* शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण कश्मीर घाटी के गुलमर्ग में आयोजित किया गया जिसमें देश के सभी हिस्सों से लगभग 2000 एथलीटों ने भाग लिया। मेज़बान जम्मू-कश्मीर 76 पदकों के साथ समग्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा।

स्थानीय कश्मीरी युवाओं को खेलों में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए 6.09 करोड़ रुपये की लागत के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का जम्मू-कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अवंतीपोरा में शिलान्यास किया गया। स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर प्रयासों और सहयोग के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य 'फिट' जीवनशैली को बढ़ावा देकर, स्वस्थ नागरिकों के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर, युवाओं को सशक्त बनाना है।

भारत को गौरवान्वित करती महिला एथलीट

एशियाई खेल 2022 हमारे देश के लिए ऐतिहासिक रहे हैं- यह एक ऐसा आयोजन था, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। भारत ने एशियाई खेल 2018 की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक स्वर्ण पदकों के साथ 60 वर्षों में अपने सर्वोच्च पदक (107) हासिल किए और 16 नई खेल श्रेणियों में पदक हासिल किए जो न केवल हमारी बढ़ती बेंच स्ट्रेंथ बल्कि एक ऐसे मज़बूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र, जहां हर स्तर पर सहयोग दिया जा रहा है, के निर्माण का भी प्रमाण हैं। इस टूर्नामेंट में हमारी महिला एथलीटों की उल्लेखनीय उपलब्धि उनके अटूट समर्पण, प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रमाण हैं जिन्होंने भारतीय दल के कुल पदकों में से लगभग 50% पदक जीते। यह उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल मैदान पर उनके कौशल को बल्कि सभी बाधाओं के बावजूद सफल होने की उनकी जीवटता और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाती है।

माननीय प्रधानमंत्री ने चीन के हांगझाऊ में एशियाई खेल 2022 में एक बातचीत कार्यक्रम में देश को गौरवान्वित करने वाले भारतीय एथलीटों को संबोधित करते हुए विशेष रूप से कहा, "मुझे इस बात पर भी गर्व है कि हमारी महिलाओं ने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। हमारी महिला खिलाड़ियों ने जिस जज़्बे के साथ प्रदर्शन किया है, वह भारत की बेटियों की क्षमता को दर्शाता है। एशियाई खेलों में भारत ने जो पदक जीते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा हमारी महिला एथलीटों ने जीते हैं। वास्तव में, इस ऐतिहासिक सफलता की शुरुआत हमारी महिला क्रिकेट टीम ने की थी।" इसलिए, यह हमारे देश के लिए गर्व का क्षण है और एक स्पष्ट संकेत है कि खेलों में महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है और वे बाधाओं तथा रूढ़ियों को तोड़ रही

रोशिबिना देवी

हैं। ये एथलीट सच्ची चैंपियन हैं और इनकी सफलता से राष्ट्र गौरवान्वित हुआ है।

खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत 'स्पोर्ट्स फॉर वीमेन' का लक्ष्य स्वास्थ्य एवं फ़िटनेस के प्रति संपूर्ण नज़रिया विकसित करना और इसके ज़रिए महिलाओं में खेलों को बढ़ावा देना है। खेलो इंडिया योजना के इस घटक के तहत 'अस्मिता वीमेंस लीग' एक शानदार पहल है, जिसमें देश भर में विभिन्न खेल स्पर्धाओं की लीग आयोजित की जाती हैं जो भारत की महिला एथलीटों में मज़बूती, दृढ़ संकल्प और उपलब्धि की भावना को बढ़ावा देती हैं। इसका नाम अस्मिता - 'अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाई इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन' (ASMITA) सशक्तीकरण और प्रेरणा का प्रतीक है। ये लीग इन्हीं भावनाओं को महिलाओं में जगाने का प्रयास करती हैं। इन महिला एथलीटों में से एक - रोशिबिना देवी, जो भारत के मणिपुर के बिष्णुपुर ज़िले के एक शांत गाँव क्वाकसिफाई मयई लीकाई में पैदा हुईं, की कहानी दृढ़ संकल्प और उपलब्धि की एक उल्लेखनीय मिसाल है। किसानों के एक सामान्य परिवार में पली-बढ़ी रोशिबिना की मार्शल आर्ट की यात्रा, मणिपुर की समृद्ध मार्शल आर्ट विरासत से प्रेरणा लेते हुए, जल्दी शुरू हुई। पारंपरिक मणिपुरी मार्शल आर्ट 'थांग-ता' से शुरुआत करते हुए, बाद में उन्होंने असाधारण प्रतिभा और अटूट समर्पण का प्रदर्शन करते हुए वुशू की तरफ अपने कदम बढ़ाए।

शुरुआत से ही, वुशू में रोशिबिना की दक्षता स्पष्ट थी, जिसके चलते उन्होंने राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते। उन्हें पहली सफलता 2018 एशियाई खेलों में मिली, जहां उन्होंने महिलाओं की 60 किग्रा सांडा स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। हालाँकि उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 2022 एशियाई खेलों में सामने आई, जहाँ उन्होंने उसी श्रेणी में ऐतिहासिक रजत पदक हासिल किया, जो एशियाई खेलों में वुशु में भारत का पहला रजत पदक था।

मणिपुर की रहने वाली भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की एथलीट रोशिबिना कड़ी मेहनत और जुनून की मिसाल हैं। उनकी प्रेरक यात्रा न केवल उन ऊंचाइयों को दर्शाती है जिस पर समर्पण भाव से पहुँचा जा सकता है, बल्कि सपनों को साकार करने की शक्ति पर भी ज़ोर देती है। अपने एथलेटिक कौशल से परे, रोशिबिना मणिपुर में युवा महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं, जो महिला सशक्तीकरण की समर्थक हैं और उन्हें अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अपनी आकांक्षाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वह मैदान और जीवन, दोनों में एक सच्ची चैंपियन की भावना का प्रतीक हैं, जो अपनी दृढ़ता और विजय की उल्लेखनीय कहानी से हम सभी को प्रेरित करती हैं।

निष्कर्ष

खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभिन्न ग्रामीण एथलीटों और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत को गौरवान्वित करने वाली महिला एथलीटों की कहानियाँ देश में खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति की एक ज्वलंत तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने पर ध्यान देने से खेल प्रतिभाओं के विकास तथा फिटनेस और प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता न केवल एथलीटों को सशक्त बना रही है बल्कि शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने के साथ-साथ समुदायों के कल्याण को भी बढ़ावा दे रही है। नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ग्रामीण युवाओं को एक रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण मार्ग प्रदान करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा स्वस्थ और अधिक संतुष्टिदायक गतिविधियों की ओर उन्मुख होती है।

इसके अलावा, भारत जब खेलों में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मना रहा है, ऐसे में उन एथलीटों की प्रेरणादायक यात्रा को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है जो साधारण शुरुआत से सामने आते हैं और वैश्विक मंच पर जीत हासिल करने के लिए बाधाओं को पार करते हैं। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती और समर्पण तथा जुनून से अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से भी उबरा जा सकता है। अब जब राष्ट्र एक ऐसा खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास कर रहा है जो सभी स्तरों पर एथलीटों को प्रोत्साहित करेगा और सहयोग देगा; यह स्पष्ट है कि भारत का खेल भविष्य आशाजनक है और युवा तेज़ी से नशीली दवाओं के बजाय खेलों को चुन रहे हैं। सरकार के सहयोग और व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प से प्रेरित यह परिवर्तन न केवल अंतरराष्ट्रीय खेल क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मज़बूत करता है बल्कि एक स्वस्थ, अधिक सक्रिय और अधिक एकजुट समाज का भी निर्माण करता है। ❑

पीएम विश्वकर्मा योजना
कारीगरों का सशक्तीकरण

-एस.सी.एल. दास

ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाना न केवल पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करना है बल्कि ग्रामीण भारत में अनगिनत परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के बारे में भी है। इसमें परंपरा और आधुनिकता के बीच की खाई को पाटना और यह भी सुनिश्चित करना है कि ये प्रतिभाशाली व्यक्ति तेज़ी से बदलती दुनिया में फल-फूल सकें। यह योजना एक आशाजनक युग तथा परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतीक है जहां भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध टेपेस्ट्री का न केवल उत्सव मनाया जाता है बल्कि इसे आगे बढ़ाकर समृद्ध भविष्य की ओर ले जाया जाता है।

ग्रामीण भारत, जिसे अक्सर राष्ट्र की कृषि रीढ़ कहा जाता है, अप्रयुक्त संभावनाओं और पारंपरिक प्रतिभा का विशाल भंडारघर है। हालांकि शहरी केंद्रों ने पारंपरिक रूप से आधुनिक और आकर्षक कॅरियर के अवसरों के मामले में सुर्खियों का आनंद लिया है तथापि ग्रामीण भारत में कौशल, रचनात्मकता और संभावनाओं का अपना अनूठा भंडार है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इस अनूठे भंडार में मुख्य रूप से कारीगर और शिल्पकार शामिल हैं जो अपने हाथों और औज़ारों से काम करते हैं। इन कारीगरों के पास मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी, धातुकार्य आदि जैसे विभिन्न पारंपरिक शिल्पों में असाधारण कौशल हैं।

कारीगर गतिविधियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और ये कलात्मक अभिव्यक्तियाँ न केवल सौंदर्य की दृष्टि से मूल्यवान हैं बल्कि भारत की विरासत को संरक्षित करने का भी अभिन्न अंग हैं। ये कारीगर आमतौर पर स्वरोज़गार में लगे होते हैं और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। गुरु-शिष्य परंपरा के संदर्भ में, इन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को 'विश्वकर्मा' कहा

लेखक भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत हैं। ई-मेल : secretary-msme@nic.in

जाता है। ये वे लोग हैं जो हमारे दैनिक जीवन को सार्थक तरीके से प्रभावित करते हैं लेकिन उनके प्रयासों को काफी हद तक अनदेखा कर दिया जाता है। स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र उनके अथक प्रयास से फलता-फूलता है जो हमारे जीवन को उत्पादक और सुचारू बनाता है। ये *'विश्वकर्मा'* स्थानीय अर्थव्यवस्था के सृजक और निर्माता हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने 17 सितंबर, 2023 को यशोभूमि, दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में *विश्वकर्मा जयंती* पर पीएम *विश्वकर्मा* योजना शुरू की। भारत में वैश्विक निवेश और व्यापार के अवसरों को प्रदर्शित करने वाले G20 के भव्य आयोजन की मेज़बानी के एक सप्ताह के भीतर, और चंद्रमा पर *चंद्रयान* की हमारी सफल यात्रा के एक महीने से भी कम समय के भीतर, *विश्वकर्माओं* के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना का शुभारंभ *सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास* पर सरकार की मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पीएम विश्वकर्मा ने कारीगरों को *विश्वकर्मा* के रूप में मान्यता देने के रूप में प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड, संपार्श्विक मुक्त ऋण, कौशल उन्नयन सहायता, विपणन सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और टूलकिट सहयोग प्रदान करके सशक्त बनाने की परिकल्पना की है। *पीएम विश्वकर्मा* वास्तव में 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण का उदाहरण है। केंद्र सरकार के तीन विभाग/मंत्रालय अर्थात एमएसएमई मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग योजना के सह-कार्यान्वयनकर्ताओं के रूप में एक साथ जुटे हैं। इस योजना का एक और अनूठा पहलू संभावित लाभार्थी के सत्यापन और योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका है। राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों के साथ बहुत रचनात्मक चर्चा हुई है और उनके सुझावों से योजना को तैयार करने में मदद मिली है।

ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाना न केवल पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने के बारे में है बल्कि ग्रामीण भारत में अनगिनत परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के बारे में भी है। इसमें परंपरा और आधुनिकता के बीच की खाई को पाटना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि ये प्रतिभाशाली व्यक्ति तेज़ी से बदलती दुनिया में फल-फूल सकें। उनके कौशल को पहचान कर उसमें और प्रतिभा निवेश करके, उन्हें बाज़ारों से जोड़ कर और वित्तीय सहायता प्रदान करके, भारत अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और सांस्कृतिक विरासत को मज़बूत करते हुए अपने कारीगरों का उत्सव मना सकता है।

कवर किए गए व्यापार

पीएम विश्वकर्मा योजना में पारंपरिक व्यापार के अंतर्गत सुथर/बढ़ई, नाव निर्माता, कवच बनाने वाला (आर्मरर), लोहार, हथोड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार (नक्काशी करने वाला), पत्थर तोड़ने वाला, मोची/जूता बनाने वाला/जूते बनाने वाला कारीगर, मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला/कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौने बनाने वाला (पारंपरिक), नाई, माला बनाने वाला (मालाकार), धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्यापार छोटी अर्थव्यवस्थाओं को उत्पन्न करने में मदद करते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलती है।

असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल के अनुसार, बोट मेकर, आर्मरर, माला बनाने वाले और

फिशिंग नेट मेकर को छोड़कर, 14 व्यापारों के अंतर्गत आने वाले 2 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कारीगरों/शिल्पकारों की स्वघोषणा पर आधारित हैं।

कार्यान्वयन के अंतर्गत मौजूदा कारीगरों से संबद्ध योजनाओं की समीक्षा

वर्तमान में लगभग 20 केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं हैं जो देशभर के कारीगरों को सहयोग देने और सशक्त बनाने का प्रयास करती हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित *राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम* और *राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम* क्रमशः हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें ऋण, विपणन, टूलकिट, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करते हैं। प्रदान किए गए लाभ व्यापक हैं और फोकस समूह हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों से संबंधित कारीगर हैं। एक और प्रभावशाली योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित *"पीएम स्वनिधि"* है जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडरों/फेरीवालों को डिजिटल लेनदेन सहयोग के लिए ब्याज सब्सिडी और प्रोत्साहन के साथ संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित *विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन* (यूएसटीटीएडी) के माध्यम से कौशल और प्रशिक्षण को उन्नत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि यह योजना विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों के लिए है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की *जन शिक्षण संस्थान* (जेएसएस) योजना और ग्रामीण विकास मंत्रालय की *ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान* (आरएसईटीआई) योजना अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं जिनका मुख्य फोकस लक्षित लाभार्थियों को बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना है।

इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विविध कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने वाली लगभग 30 योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें उत्तर प्रदेश सरकार की *विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना* और गुजरात सरकार की *श्री वाजपेयी बैंकेबल योजना* प्रमुख हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना टोकरी बुनकरों, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, दर्जी, बढ़ई, नाई आदि जैसे व्यवसायों में लगे कारीगरों को ऋण, आधुनिक टूलकिट और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करती है। श्री वाजपेयी बैंकेबल योजना कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के कारीगरों/शिल्पकारों को रियायती ऋण प्रदान करती है। इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार की महिलाओं के लिए *हथकरघा कताई-बुनाई सहायता योजना* के अंतर्गत चयनित महिलाओं को टूलकिट खरीदने के लिए 25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। गुजरात सरकार की *दत्तोपंत थेंगड़ी कारीगर ब्याज सब्सिडी योजना*, गुजरात के पारंपरिक शिल्प, कला, हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता के साथ-साथ ऋण सहायता भी प्रदान करती है।

भारत सरकार द्वारा उन सभी कारीगरों और शिल्पकारों को, जिन्होंने अब तक किसी भी सरकारी सहायता का लाभ नहीं उठाया है, शामिल करने और पारंपरिक व्यवसायों में लगे कारीगरों के एक बड़े समूह को कौशल प्रशिक्षण और ऋण से लेकर विपणन सहायता तथा आधुनिक टूलकिट प्रदान करने तक शुरु

से अंत तक समग्र सहयोग सुनिश्चित करने के लिए नई योजना 'पीएम विश्वकर्मा' तैयार की गई है।

पीएम विश्वकर्मा का उद्देश्य

इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर, लाल किले की प्राचीर से, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की। जिससे आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने, गहन और मज़बूत करने तथा कुछ उत्पादों और सेवाओं की मांग में वृद्धि करने से लाखों भारतीयों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह घोषणा थी कि केंद्र सरकार, राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपने हाथों और औज़ारों से काम करने वाले हमारे पारंपरिक और कुशल कारीगरों एवं शिल्पकारों के अपार योगदान को मान्यता देने के लिए, उन्हें शुरू से अंत तक, सुचारू और बाधामुक्त सहायता प्रदान करने हेतु 13,000 करोड़ रुपये की एक समग्र योजना शुरू करेगी।

लाभ

अपने हाथों और औज़ारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि वे बेहतर काम कर सकें; आधुनिक उपकरणों, प्रौद्योगिकी और बाज़ारों तक उनकी पहुँच आसान हो सके और उन्हें डिजिटलीकरण की तेज़ी से विकसित हो रही दुनिया में शामिल किया जा सके। इसलिए *पीएम विश्वकर्मा* में एक व्यापक दृष्टिकोण की वकालत की गई है। इस प्रकार, योजना का उद्देश्य निम्नलिखित छह हस्तक्षेपों के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना है:

(i) मान्यता : योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत और सत्यापित होने के बाद लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड मिलेगा।

(ii) कौशल उन्नयन : कारीगरों को मजदूरी मुआवजे के रूप में प्रतिदिन 500 रुपये वज़ीफा सहित 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा। भारत सरकार ने कौशल विकास का काम एमएसडीई को सौंपा है। कौशल प्रशिक्षण के दौरान, लाभार्थियों को उच्चतम गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा और व्यापार में मास्टर प्रशिक्षकों को उद्योग और समुदाय से लिया जाएगा। बुनियादी प्रशिक्षण के अंत में, एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा और सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) प्रमाणन प्रदान किया जाएगा। सरकार प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों के लिए भोजन और आवास सुविधाओं की भी व्यवस्था करेगी, जिसे पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा और निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

(iii) टूलकिट प्रोत्साहन : कौशल प्रशिक्षण के अलावा, बुनियादी प्रशिक्षण की शुरुआत में कौशल मूल्यांकन के बाद, कारीगरों और शिल्पकारों को ई-रुपी (e-Rupi)/ई-वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन मिलेगा। विश्वकर्माओं को उनके संबंधित व्यवसायों में आधुनिक उपकरणों को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल गाइड और लघु वीडियो ट्यूटोरियल दिए जाएंगे।

(iv) ऋण सहायता : सरकार उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक लाख और दो लाख रुपये की दो किश्तों में तीन लाख रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करेगी। यह आर्थिक स्थिरता उन्हें आत्मनिर्भर बनने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इन ऋणों का भुगतान क्रमशः 18 महीने और 30 महीने में किया जा सकता है। ऋण इसके अलावा, 5% रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है जिसमें भारत सरकार 8% की सीमा तक छूट देती है। इन कारीगरों को 5-7 दिनों का बुनियादी कौशल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ऋण की पहली किश्त 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह, 2 लाख रुपये के ऋण की दूसरी किश्त का वितरण उन्हें 15 दिनों का उन्नत प्रशिक्षण पूरा करने और 1 लाख रुपये की पहली किश्त के ऋण के पुनर्भुगतान के बाद किया जाएगा। लाभार्थियों से कोई गारंटी शुल्क भी नहीं लिया जाएगा और एमएसएमई मंत्रालय

इन कारीगरों की ओर से भुगतान करेगा। इसके अलावा, निर्धारित तिथि से पहले ऋण चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं है बशर्ते ऋण 6 महीने से पहले नहीं चुकाया जाता है।

(v) डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन : विश्व डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा है, जो भौतिक बाधाओं से परे है। महामारी के समय में हमें इसका एहसास और भी अधिक हुआ। तदानुसार, यह योजना लाभार्थियों को डिजिटल लेनदेन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के लाभार्थियों को हर बार डिजिटल लेनदेन भेजने या प्राप्त करने पर कैशबैक प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रति माह 1 रुपये प्रति डिजिटल लेनदेन अधिकतम 100 लेनदेन तक, प्रत्येक डिजिटल भुगतान या प्राप्ति पर लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा।

(vi) विपणन सहायता : घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में इन कारीगरों के उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक विपणन रणनीति तैयार की गई है। इस रणनीति में गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियाँ जैसे तत्व शामिल हैं जिनका उद्देश्य मूल्य श्रृंखलाओं से उनका संबंध बढ़ाना है। इन सेवाओं को लाभार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित और प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें GeM जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने, गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने या व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति शामिल हो सकती है।

उपर्युक्त लाभों के अलावा, इन कारीगरों को एमएसएमई औपचारिक पारिस्थितिकी तंत्र में उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर 'उद्यमियों' के रूप में भी शामिल किया जाएगा। इससे उनके लिए उद्यमियों से उद्यम के रूप में विकसित होने का मार्ग प्रशस्त होगा।

पंजीकरण

सरकार ने *पीएम विश्वकर्मा पोर्टल* के माध्यम से कारीगरों/शिल्पकारों को पंजीकृत करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों की सेवाओं को शामिल किया है। पंजीकरण के लिए न्यूनतम दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के लिए बैंक विवरण के साथ आधार संख्या और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर न्यूनतम आवश्यकता है। पंजीकरण के बाद सत्यापन के तीन चरण होंगे- पंचायत/यूएलबी, ज़िला और राज्य स्तर, जिसके बाद लाभार्थी को *पीएम विश्वकर्मा* प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा और उसके बाद वे योजना का लाभ उठा सकते हैं।

पात्रता

एक कारीगर या शिल्पकार, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, अपने हाथों और औज़ारों से काम करता है और 18 परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगा हुआ है, बशर्ते कि उसने केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ऐसी ही ऋण आधारित योजनाओं के तहत ऋण न लिया हो। इसके अलावा, पंजीकरण परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित होगा और

सरकारी सेवा वाले व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

निष्कर्ष

हम आशा करते हैं कि *पीएम विश्वकर्मा* के माध्यम से लाखों कारीगर और शिल्पकार, जिनकी उद्यमशीलता पर हमें गर्व है, अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सक्षम होंगे। कारीगरों और शिल्पकारों को सहयोग देने की हमारी योजना इस स्कीम की रूपरेखा से बहुत आगे जाती है। हम चल रही सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ आवश्यक जुड़ाव सुनिश्चित करेंगे। पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को पैन कार्ड होने की स्थिति में उद्यम पोर्टल से या पैन कार्ड नहीं होने की स्थिति में उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस तरह के लिंकेज से उनके ऋणों को बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत करने में मदद मिलेगी और उन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में भी लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

निःसंदेह कारीगर और शिल्पकार अपनी रचनात्मकता और कौशल के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवेश में योगदान दे रहे हैं। हमारा विज़न यह सुनिश्चित करके कि कारीगर/शिल्पकार एक सक्षम वातावरण में काम करने के योग्य हों, उनकी प्रतिभा को देश के हर हिस्से और वैश्विक स्तर पर ले जाना है। यह योजना एक आशाजनक युग का प्रतीक है जहां भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध 'टेपेस्ट्री' का न केवल उत्सव मनाया जाता है बल्कि इसे आगे बढ़ाकर समृद्ध भविष्य की ओर ले जाया जाता है, जो परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतीक है। आइए, हम सब मिलकर उन्हें सम्मान दें, उनके सामर्थ्य को बढ़ाने में मदद करें और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करें। ❑

शिक्षा में प्रौद्योगिकी और नवाचार का समावेशन

-जय प्रकाश पाण्डेय

शिक्षा को ज्ञान सृजन और नवाचार के लिए आधार बनाना चाहिए जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान हो। शिक्षा द्वारा छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट हैंड होल्डिंग तंत्र को विकसित करने की महती आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी और नवाचार की संस्कृति को एकीकृत करने के सभी प्रयासों के फलीभूत होने से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों सहित सभी छात्रों की क्षमताओं का समुचित उपयोग हो सकेगा और 2047 तक विकसित भारत की माननीय प्रधानमंत्री की संकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी।

किसी भी देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहां कितना नवाचार किया जाता है। विज्ञान-तकनीक के क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में देश, काल और परिस्थिति के अनुसार निरंतर नवाचारों को बढ़ावा दिया जाना किसी भी देश और समाज की दशा और दिशा तय करता है। यह भी सत्य है कि नवाचार को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना होगा। आधुनिक काल तकनीकी का युग है। नवाचार और तकनीकी का संयोग एक मणिकांचन संयोग उपस्थित करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी और नवाचार के एकीकरण पर ज़ोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन की कल्पना करती है ताकि इसे अधिक शिक्षार्थी केंद्रित, लचीला और प्रौद्योगिकी संचालित बनाया जा सके। इसके अलावा, यह रेखांकित करती है कि 'शिक्षा के कई पहलुओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और समावेशन का समर्थन किया जाएगा और अपनाया जाएगा'। तदानुसार, इसके लक्ष्यों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच बढ़ाने और 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है।

तेज़ी से तकनीकी प्रगति और कुशल तथा अनुकूलनीय कार्यबल की बढ़ती मांग से चिह्नित युग में, शिक्षा में प्रौद्योगिकी और नवाचार का समावेशन, भारत में विशेष रूप से इसके ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रतिभा के पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, एनईपी 2020 के अनुसार भारत में, 2040 तक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित हो, जो किसी से कम नहीं हो, जिसमें सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित हो।

पिछली जनगणना (2011) के अनुसार, देश की 68.8% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके अलावा, यूडीआईएसई + 2021-22 के अनुसार, देश के 14.89 लाख स्कूलों में नामांकित कुल 26.52 करोड़ छात्रों में से 18.49 करोड़ छात्र ग्रामीण क्षेत्रों के 12.35 लाख स्कूलों में नामांकित हैं। केन्द्र सरकार द्वारा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अनेक पहलें की गई हैं। प्रतिभा को पोषित करने और शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने पर

लेखक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।
ई-मेल : jppandey.irps@gov.in

ध्यान केंद्रित करने के साथ शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग की अनेक पहलों का ज़िक्र यहां किया जा रहा है–

शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण

☞ **राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR)* :** एनईपी 2020 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की सुविधा के लिए, एनडीईएआर ब्लूप्रिंट को जुलाई 2021 में स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में लॉन्च किया गया। एनडीईईआर बिल्डिंग ब्लॉक, स्कूल शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न समाधानों के लिए अपने स्तंभ का विस्तार करता है जिसमें लाइव कक्षाएं, ईटीबी से जुड़ी आदर्श सामग्री, डिजिटल पाठ्यक्रम, मल्टी चैनल चैटबॉट, सहयोग आदि शामिल हैं। एनडीईएआर के तहत कोर बिल्डिंग ब्लॉकों में से छात्र और शिक्षक रजिस्ट्री प्रमुख हैं। एनडीईएआर को कार्यात्मक बनाने से राज्यों द्वारा महान नवाचार और समाधान सुनिश्चित होंगे और व्यापक शिक्षा समुदाय का लाभ दूसरों द्वारा उठाया जा सकेगा। इस प्रकार, एक विशेष राज्य में काम करने वाले समाधान और विचार दूसरे द्वारा पुनः प्रयोज्य और पुनः कॉन्फ़िगर करने योग्य होंगे और उन्हें शून्य से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भारतीय संदर्भ में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए अभ्यास और सर्वोत्तम प्रथाओं की समुदायों तक व्यापक पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा।

☞ एनडीईएआर में मौजूदा डिजिटल प्रणालियों को केंद्र और राज्य स्तर पर अपग्रेड करने और इंटरऑपरेबल बनने में सक्षम बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच हासिल करने तथा शिक्षण और सीखने की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए, नए डिजिटल उपकरण बनाने और समाधान की परिकल्पना की गई है। इसका तात्पर्य है कि देश भर में विभिन्न शिक्षार्थियों के लिए कई भाषाओं में विविध सामग्री और सीखने की सामग्री की उपलब्धता है, जबकि एक ही समय में शिक्षकों के कौशल के उन्नयन के लिए विभिन्न शिक्षण और शिक्षण पद्धतियों की गारंटी है।

☞ **दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा) :** शिक्षा मंत्रालय ने दीक्षा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जो शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सामग्रियों तक पहुँच प्रदान करता है। यह इंटरेक्टिव पाठ योजना, परीक्षण और अन्य शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है। शिक्षक अपनी शैक्षणिक क्षमताओं को तेज़ करने और सबसे हालिया शिक्षण तकनीकों के साथ बने रहने के लिए 'दीक्षा' का उपयोग कर सकते हैं। दीक्षा एक 'मेड इन इंडिया' डिजिटल बुनियादी ढांचा है और इसे पीएम ई-विद्या पहल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्कूली शिक्षा के लिए 'वन नेशन, वन प्लेटफॉर्म' के रूप में विकसित किया गया है। इसमें कक्षा 1 से 12 के लिए क्यूआर कोड वाली पाठ्य-पुस्तकें और विभिन्न विशेष ई-सामग्री और 31 भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में और राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों द्वारा बनाए गए आईएसएल भी हैं। दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर सीखने

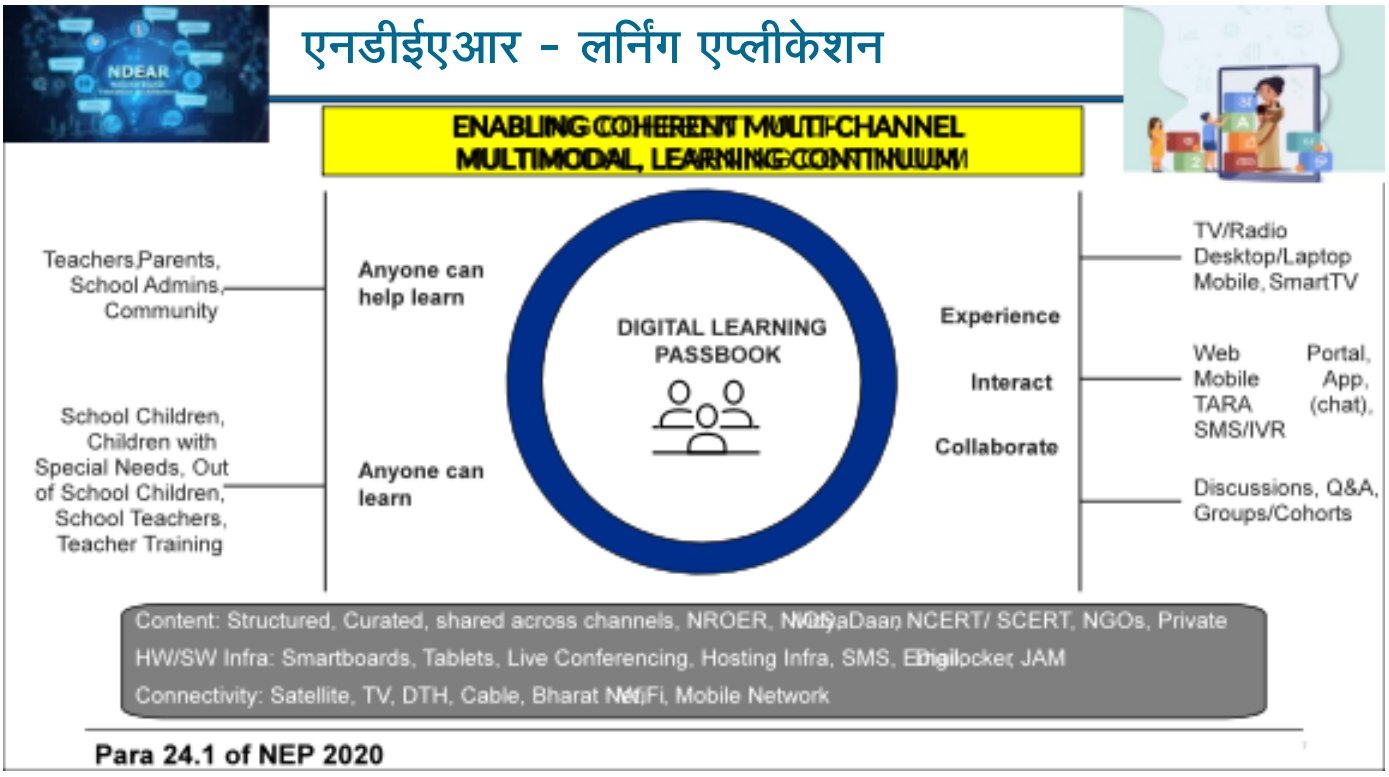

*NDEAR – National Digital Education Architecture

स्वयम - एनपीटीईएल की पहल

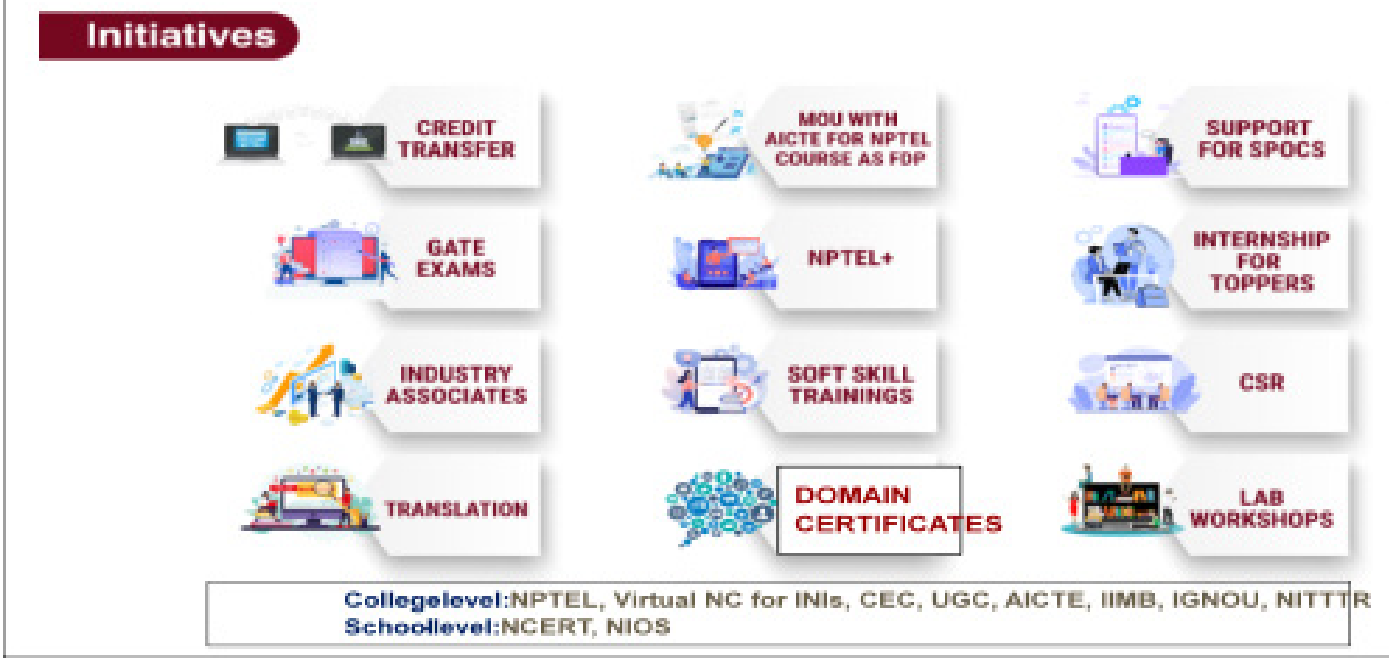

की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 4 डिजिटल सार्वजनिक सामानों में से एक है। इसमें एआई-सक्षम तारा चैटबॉट भी है। 1.4 करोड़ से अधिक के औसत दैनिक पेज हिट के साथ, दीक्षा पोर्टल का कोविड महामारी के दौरान अद्वितीय उपयोग देखा गया।

कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बनाने में मदद करने के लिए दीक्षा बुनियादी ढांचे का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, दीक्षा उच्च प्राथमिक छात्रों को वीडियो, वर्कबुक और इन्फोग्राफिक्स के रूप में सीखने हेतु परिणाम-आधारित जानकारी प्रदान करती है। स्कूली छात्रों ने दीक्षा पर विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन परीक्षणों का उपयोग किया, जिसमें कानून और न्याय मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय संविधान प्रश्नोत्तरी, डिस्कवर गाँधी क्विज़, नो योर कॉन्स्टीट्यूशन क्विज़ आदि शामिल हैं। एनडीईएआर सिद्धांतों के आधार पर, दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर में 7 एनडीईएआर बिल्डिंग ब्लॉक श्रेणियां हैं जो विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को सक्षम बनाती हैं। वास्तव में, दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के लिए भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 4 डिजिटल सार्वजनिक पहलों में से एक है और जीएसटीएन और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट के साथ दीक्षा केस स्टडी को एमईआईटीवाई द्वारा आईएनडीईए (इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर) 2.0 फ्रेमवर्क में एक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में उजागर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों तक गुणवत्ता शिक्षा पहुँचाने में दीक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है।

☞ विद्या समीक्षा केंद्र

छात्रों के नामांकन, उनके सीखने के स्तर में प्रगति, स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने, पाठ्यपुस्तक वितरण, शिक्षकों और स्कूलों द्वारा आवश्यक सहायता आदि पर नज़र रखने के लिए राज्य और केंद्रीय, दोनों स्तरों पर विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) स्थापित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य पहले से उपलब्ध डेटा सेट जैसे यूडीआईएसई+, छात्र डेटाबेस, एनएएस, शिक्षक डाटाबेस, दीक्षा, निष्ठा, आदि को एकीकृत करके डाटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है, जो कुशल सिस्टम हैं लेकिन 'साइलो' में काम कर रहे हैं। यह लगभग 15 लाख स्कूलों, 96 लाख शिक्षकों और 26.5 करोड़ छात्रों के डेटा को कवर करेगा और शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी को बढ़ाने और सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए बड़े डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सार्थक रूप से उनका विश्लेषण करेगा। उपयोगकर्ताओं को अपने राज्य के लिए विशिष्ट राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जल्दी से कॉन्फ़िगर करने में मदद करने के लिए, एनसीईआरटी ने एक पूर्व-कॉन्फ़िगर पैकेज विकसित किया है, जिसे मौजूदा कार्यक्रमों के साथ अनुकूलित और एकीकृत किया जा सकता है।

☞ स्वयम

स्वयम* एक राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो शिक्षकों के लिए भी मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश भर के छात्रों और शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाले, इंटरेक्टिव और सुलभ ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना है,

*SWAYAM – Study Webs of Active–Learning for Young Aspiring Minds

जिसमें दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्र शामिल हैं। यह देश का एमओओसी प्लेटफॉर्म है जो विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट ट्रांसफर प्रदान करता है। तथ्य यह है कि स्वयम अपने पाठ्यक्रमों तक मुफ्त पहुँच प्रदान करता है, यह इसके सर्वोत्तम गुणों में से एक है। इसका मतलब यह है कि छात्रों को शीर्ष स्तर की निर्देशात्मक सामग्री तक पहुँचने के लिए पाठ्यक्रमों के लिए स्वयं भुगतान नहीं करना होगा। असाइनमेंट, पीयर-टू-पीयर चर्चा और क्विज़ जैसे विभिन्न इंटरेक्टिव तत्वों के माध्यम से, 'स्वयम' सक्रिय रूप से सीखने को प्रोत्साहित करता है।

एनआईओएस और एनसीईआरटी 'स्वयम' के तहत स्कूल क्षेत्र के पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक हैं, जो 9वीं से 12वीं तक स्कूल पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। 'स्वयम' पोर्टल पर कुल 10,451 स्वयम पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें से एनसीईआरटी के 257 पाठ्यक्रम और एनआईओएस के 431 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों के लिए 4.1 लाख छात्र पंजीकृत हैं और एनआईओएस पाठ्यक्रमों के लिए 34 लाख से अधिक छात्र पंजीकृत हैं। 'स्वयम' एक अन्य सरकारी पहल 'स्वयं प्रभा' के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है जो डीटीएच चैनलों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री प्रसारित करता है। यह सीमित इंटरनेट एक्सेस वाले छात्रों को पाठ्यक्रमों से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल): राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) शिक्षा मंत्रालय की शैक्षिक सामग्री और संसाधनों का एक डिजिटल भंडार है। एनडीएल की मदद से, छात्रों को डिजिटल शिक्षण संसाधनों की एक व्यापक लाइब्रेरी तक पहुँच होगी, जैसे कि शोधपत्र, वीडियो, ऑडियो व्याख्यान, पाठ्यपुस्तकें और बहुत कुछ। यह डिजिटल सामग्री के विशाल

नाम	स्वयम के लिए विकसित किए गए अद्वितीय पाठ्यक्रम	कुल पाठ्यक्रम- **SWAYAM** पर सूचीबद्ध	कुल नामांकन
NPTEL	1714 (63%)	6170 (62%)	23449856 (60%)
कुल	2888	10112	34454963

स्रोतः **SWAYM-NPTEL**

नाम	परीक्षा पंजीकरण	परीक्षा के लिए उपस्थित हुए	प्रमाणित
एनपीटीईएल	2879294	2555934	1896504
(यूजी और पीजी	345474	134022	101839
इंजीनियरिंग)			
कुल	3224768	2689956	1998343

स्रोतः **SWAYM-NPTEL**

और विविध संग्रह के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञान सहित शैक्षणिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। चूंकि प्लेटफ़ॉर्म ओपन-एक्सेस है और उपयोगकर्ता शुल्क के बिना अपने संसाधनों तक पहुँच सकते हैं, इसलिए छात्रों, प्रशिक्षकों, शोधकर्ताओं और आम जनता सहित लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला इन अनुदेशात्मक सामग्रियों तक पहुँच सकती है।

एनडीएल शिक्षकों और सामग्री रचनाकारों को मंच पर अपनी सामग्री का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इस प्रकार संग्रह का विस्तार करता है और ज्ञान के साझाकरण

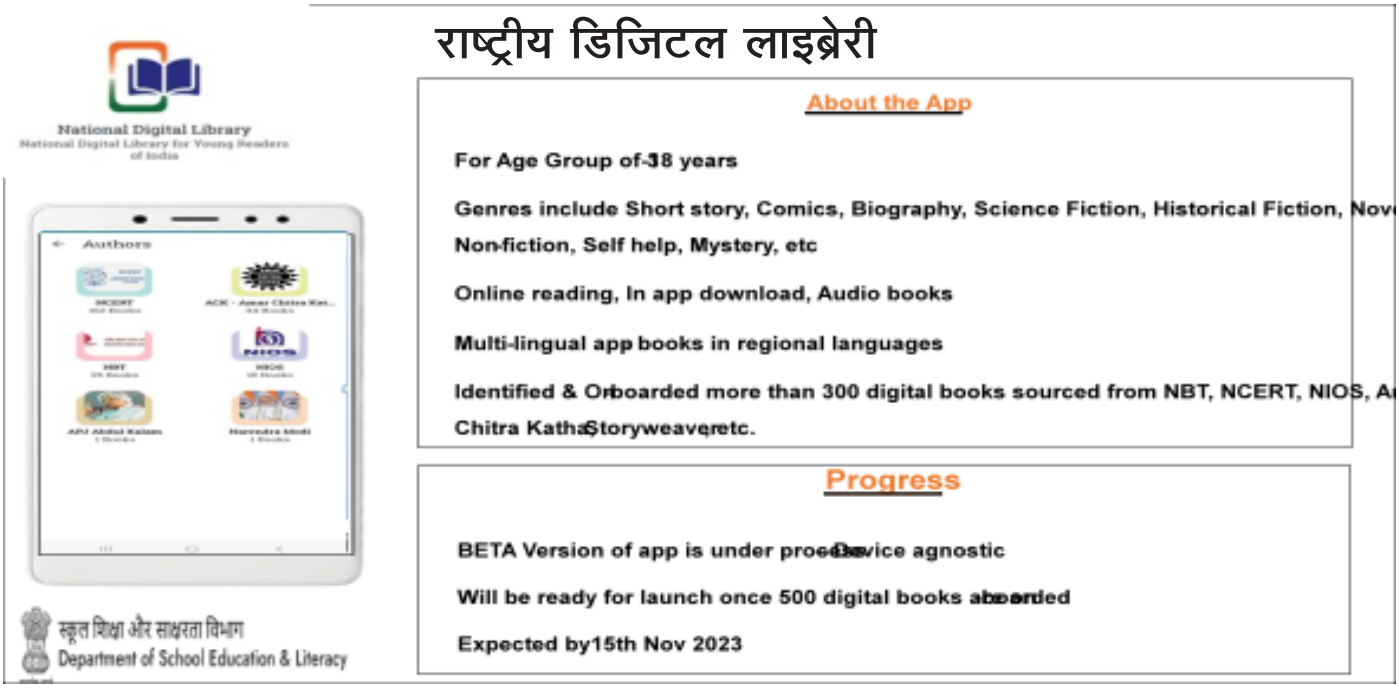

शिक्षकों की क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार, प्रत्येक शिक्षक और मुख्य शिक्षक को अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए सालाना कम से कम 50 घंटे के निरंतर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के अवसरों में संलग्न होना चाहिए, जो उनके स्वयं के हितों से प्रेरित हो। योग्यता-आधारित शिक्षा, सीखने के परिणामों के रचनात्मक और अनुकूली मूल्यांकन, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, और अनुभवात्मक शिक्षा, कला एकीकृत, खेल एकीकृत और कहानी आधारित दृष्टिकोण जैसे शिक्षाविद्ों के लिए संबद्ध सबसे हालिया शिक्षाशास्त्र सभी सीपीडी अवसरों द्वारा व्यवस्थित रूप से कवर किए गए हैं।

शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण के महत्व को स्वीकार करते हुए, शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में प्रौद्योगिकी और नवाचार को एकीकृत करने के उद्देश्य से कई पहल की गई हैं। इन पहलों को शिक्षकों के कौशल तथा ज्ञान को बढ़ाने और कक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उपकरणों से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसी ही एक पहल है- स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल निष्ठा (NISHTHA)* जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 2019 में शुरू किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो शिक्षण में प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित शिक्षाशास्त्र के विभिन्न पहलुओं में शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षित करता है। यह प्रशिक्षण कोविड महामारी के दौरान दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जारी रखा गया था और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के साथ, 'निष्ठा' को शिक्षकों के सभी स्तरों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया।

स्कूल इनोवेशन काउंसिल

शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों में विचारधारा, नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति बनाने के लिए, स्कूल इनोवेशन काउंसिल, स्कूल इनोवेशन एम्बेसेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम (एसआईएटीपी), 6 से 12 मानकों के साथ डिज़ाइन थिंकिंग और इनोवेशन स्किल कोर्स और स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति जारी

स्कूल में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति के छह स्तंभ	
मानसिकता परिवर्तन, जागरूकता और प्रशिक्षण	शैक्षणिक नवाचार
नवाचारों का पोषण करने के लिए बुनियादी ढांचा और सलाह	सहयोगी - स्कूल- समुदाय
शिक्षकों को उत्साहित और प्रोत्साहित करना	स्कूल उद्यमियों ने स्टार्टअप का नेतृत्व किया- सुविधाएं और आईपी समर्थन

करने जैसी प्रमुख पहल की गई हैं। नीति का उद्देश्य स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करना है कि स्कूलों में विचारधारा, नवाचार, उद्यमिता तथा डिज़ाइन और सोचने की संस्कृति को कैसे बनाया एवं प्रबंधित किया जाए।

एसआईएटीपी (SIATP)* कार्यक्रम स्कूल के शिक्षकों को विचारधारा और नवाचार पर छात्रों को सलाह देने और प्रशिक्षण देने के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के बीच लीक से हटकर सोच को बढ़ावा देना और शिक्षकों को सलाह-कौशल से लैस करना है। एक डिजिटल मंच के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें पांच मॉड्यूल शामिल होते हैं- डिज़ाइन सोच और नवाचार; विचार पीढ़ी और विचारधारा; बौद्धिक संपदा अधिकार; वित्त, मानव संसाधन (एचआर) और बिक्री; उद्यमिता एवं प्रोटोटाइप। सभी मॉड्यूल के सफल समापन पर शिक्षकों को शिक्षा मंत्रालय के 'नवाचार राजदूत' के रूप में स्वीकार किया जाता है और उनके स्कूलों में वे स्कूल इनोवेशन काउंसिल (एसआईसी) के संस्थापक, सदस्य बन जाते हैं। अब तक 71,000 से अधिक शिक्षकों ने एसआईएटीपी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण किया है और 19,000 से अधिक शिक्षकों ने प्रशिक्षण पूरा किया है।

इसे आगे बढ़ाने के लिए, 6 से 12 मानकों के लिए डिज़ाइन थिंकिंग और इनोवेशन स्किल मॉड्यूल बनाने और कार्यान्वित करने के लिए डिज़ाइन थिंकिंग और इनोवेशन स्किल मॉड्यूल उपलब्ध हैं। पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की गई है और शिक्षकों का ऑफ़लाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया है ताकि उन्हें अपनी संबंधित कक्षाओं में इन कौशल विषयों को लागू करने और पढ़ाने के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस किया जा सके। भारत स्कूल स्तर पर डिज़ाइन थिंकिंग और इनोवेशन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है, जिसमें 2400 से अधिक स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्र पंजीकृत हैं और डिज़ाइन थिंकिंग और इनोवेशन कौशल मॉड्यूल का निर्माण कर रहे हैं। इस पहल को सभी स्कूलों तक पहुँचाने की ज़रूरत है।

*NISHTHA-National initiative for school heads' and teachers Holistic Advancement
*SIATP - School Innovation Ambassador Training Program

को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, शैक्षिक संस्थान, पुस्तकालय और संगठन अपने छात्रों और सदस्यों को भंडार के संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने के लिए एनडीएल को अपने सिस्टम में एकीकृत कर सकते हैं। यह एक मोबाइल एप्लिकेशन भी प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन और टैबलेट पर शैक्षिक सामग्री तक पहुँचने में सुविधा होती है। एनडीएल भारत में बड़े डिजिटल शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है और डिजिटल इंडिया अभियान और स्वयम जैसी अन्य सरकारी पहलों के साथ एकीकृत है।

आगे की राह

भारत एक ऐसा वातावरण बनाकर अपने अप्रयुक्त प्रतिभा पूल की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए काम कर रहा है जो प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षण उपकरणों और व्यापक क्षमता निर्माण समर्थन का उपयोग करने में शिक्षकों की मदद करता है। यह अगली पीढ़ी को डिजिटल रूप से संचालित दुनिया में रहने और काम करने के लिए लैस करने में मदद करेगा। हालांकि ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को कम करना एक कठिन कार्य है जिसके लिए सार्वजनिक व्यापार और नागरिक समाज क्षेत्रों में सहयोग की ज़रूरत है। अन्य मुख्य फोकस क्षेत्र निम्नवत हैं:-

इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार : दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचे के निर्माण और विस्तार में निवेश करें। भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के लिए उपग्रह इंटरनेट और वॉयरलेस नेटवर्क जैसी तकनीकों का उपयोग करें।

डिजिटल साक्षरता : ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों को लागू करना। इसमें बुनियादी डिजिटल कौशल, ऑनलाइन सुरक्षा और ज़िम्मेदार इंटरनेट उपयोग सिखाना शामिल है।

शैक्षिक सामग्री : शैक्षिक सामग्री का विकास और प्रसार करना जो स्थानीय पाठ्यक्रम के साथ संरेखित हो और ग्रामीण शिक्षार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करती हो।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) : निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढांचे और साक्षरता में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।

डिजिटल शिक्षा : स्कूलों को डिजिटल संसाधनों, जैसे ई-पुस्तकें और ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रदान करके ग्रामीण शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करें।

शिक्षक प्रशिक्षण : ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को कक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित करें।

निगरानी और मूल्यांकन : डेटा संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से डिजिटल अंतर को पाटने में प्रगति की लगातार निगरानी करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें, जिन पर अधिक ध्यान देने और संसाधनों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा को ज्ञान सृजन और नवाचार के लिए आधार बनाना चाहिए जिससे बढ़ती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान हो। शिक्षा द्वारा छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट हैंड होल्डिंग तंत्र को विकसित करने की महती आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी और नवाचार की संस्कृति को एकीकृत करने के सभी प्रयासों के फलीभूत होने से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों सहित सभी छात्रों की क्षमताओं का समुचित उपयोग हो सकेगा और 2047 तक विकसित भारत की माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी। ❑

सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहन

-भुवन भास्कर

सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से ग्रामीण भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। बेरोज़गार ग्रामीण युवाओं को रोज़गार प्रदान करना, ग्रामीण घरेलू आय में वृद्धि, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की दर को कम करना आदि कुछ प्रत्यक्ष लाभ हैं जिन्हें देश सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करके प्राप्त कर सकता है।

भारत लगभग 1.5 अरब लोगों का देश है, जहां परंपरागत रूप से 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर रही है। लेकिन यह एक सुस्थापित तथ्य है कि आजीविका की दृष्टि से कृषि पर अत्यधिक निर्भरता समाधान की बजाय समस्याएं अधिक पैदा कर रही है। अधिकांश लोग कम हो रहे खेती योग्य क्षेत्रों पर निर्भर हैं जिससे जोत छोटी हो गई हैं। इस स्थिति ने कई बाधाओं को जन्म दिया है जो भारतीय कृषि के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही है। उदाहरण के लिए, खेतों में मशीनों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की सीमित संभावनाएं, कम उपज के कारण मोल भाव न कर पाना, उत्पादन लागत में वृद्धि आदि। दशकों के अनुभव से नीति निर्माताओं के लिए यह लगभग स्पष्ट है कि युवा पीढ़ी द्वारा वैकल्पिक आजीविका स्त्रोतों पर ध्यान दिए बिना ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह सब औद्योगीकरण और शहरीकरण की अवधारणाओं से शुरू हुआ। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बड़े उद्योगों के माध्यम से विकास की पश्चिमी अवधारणा से बहुत अधिक प्रभावित थे। लेकिन इसके परिणामस्वरूप झुग्गी-बस्तियों में वृद्धि हुई, औद्योगिक श्रमिकों के रूप में नए वर्गों का उदय हुआ और गाँवों से बड़े पैमाने पर पलायन के कारण भारत में परिवार व्यवस्था टूट गई।

अब जब हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का विज़न हमारे सामने रखा है। यह अकारण नहीं है कि भारत सरकार ने मिशन मोड में ग्रामीण भारत में सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है।

लेखक एनसीडीईएक्स में वाइस प्रेसिडेंट हैं और आर्थिक तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े समकालीन मुद्दों पर लिखते हैं।
ई-मेल : bhaskarbhuwan@gmail.com

सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से ग्रामीण भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। बेरोज़गार ग्रामीण युवाओं को रोज़गार प्रदान करना, ग्रामीण घरेलू आय में वृद्धि, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की दर को कम करना आदि कुछ प्रत्यक्ष लाभ हैं जिन्हें देश सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करके प्राप्त कर सकता है। परोक्ष रूप से, यह लगभग सभी मोर्चों पर समग्र कृषि परिदृश्य को लाभान्वित करने वाला है, जैसे कि बुआई, कटाई, गुणवत्ता सुधार, विपणन में प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि।

इसका सीधा-सा कारण यह है कि कृषक परिवार में अतिरिक्त आय हो तो उसे खेती में ही लगा दिया जाता है। ग्रामीण हिस्सों के अलावा, शहरी भारत में भी रिवर्स माइग्रेशन देखा जाएगा और इससे निश्चित रूप से शहरी पर्यावरण में सुधार होगा, वायु और जल प्रदूषण में कमी आएगी तथा शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव कम होगा।

आइए, विस्तार से देखते हैं कि ग्रामीण युवाओं और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करना 'गेम चेंजर' क्यों हो सकता है:

सूक्ष्म उद्यमिता का दायरा: परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्म उद्यम वे हैं जिनमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश शामिल नहीं है और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रु. से अधिक नहीं है। सूक्ष्म उद्यम छोटी कंपनी होती है जो उत्पादों और/या सेवाओं को बेचकर समुदाय या स्थानीय बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। सामान्यतः इसमें 10 से कम कर्मचारी होते हैं और यह सीमित क्षेत्र में काम करती है। सूक्ष्म व्यवसाय आमतौर पर माइक्रोक्रेडिट अथवा माइक्रोफाइनेंस के ज़रिए धन हासिल कर शुरू किया जाता है।

सूक्ष्म व्यवसाय सामान्यतः उभरते देशों और अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं और कार्यालयी क्षेत्र में नौकरियों की कमी के कारण उत्पन्न शून्य को भरने का प्रयास करते हैं। रोज़गार सृजन के अलावा, वे उत्पादन लागत में कटौती करते हैं, क्रयशक्ति बढ़ाते हैं और सुविधा प्रदान करते हैं; अतः इन सभी से अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। सच तो यह है कि सरकार सूक्ष्म व्यवसायों विशेषकर कम आय वाले क्षेत्रों में सहयोग करती है। इससे आर्थिक और व्यापारिक विस्तार को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, ये व्यवसाय सतत विकास की उम्मीद देते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, वे एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करते हैं।

लचीलापन: सूक्ष्म व्यवसाय के मालिक बदलती परिस्थितियों के साथ जल्दी से तालमेल बिठाने और काम करने का अपना समय तय करने में सक्षम होते हैं। जिन लोगों को पारिवारिक दायित्व या अंशकालिक नौकरियों जैसी ज़िम्मेदारी निभानी होती हैं, उनके लिए यह लचीलापन बेहद उपयोगी हो सकता है। सूक्ष्म उद्यमी खुद को बाज़ार की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढाल पाते हैं। वे बड़े संगठनों में अपनायी जा रही आम नौकरशाही प्रक्रियाओं के बिना निर्णय ले सकते हैं और परिवर्तन लागू कर सकते हैं।

उद्यम शुरू करने में बाधाएं कम : चूंकि सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने के लिए अक्सर कम मात्रा में संसाधनों और पूंजी की आवश्यकता होती है इसलिए अधिक से अधिक लोग उद्यमिता अपना सकते हैं। उद्यम शुरू करने में कम बाधा के कारण लोग बड़ा वित्तीय जोखिम उठाए बिना अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अक्सर न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्यम शुरू करने के लिए बाधाएं कम होने से कम वित्तीय संसाधनों वाले व्यक्तियों को अपनी उद्यमशील आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है।

रोज़गार सृजन : सूक्ष्म व्यवसाय के मालिक जब कर्मचारी रखते है या ठेके पर काम कराते हैं तो वे रोज़गार सृजन करने में मदद करते हैं। इससे स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और बेरोज़गारी को कम करने में सहायता मिलती है। सूक्ष्म उद्यम सामूहिक रूप से रोज़गार सृजन में योगदान करते हैं जो अधिक बेरोज़गारी दर वाले क्षेत्रों में बहुत कारगर हो सकता है। वे ज़मीनी स्तर पर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं।

नवोन्मेष: नई वस्तुएं, सेवाएं और अवधारणाएं अक्सर छोटी कंपनियों द्वारा बाज़ार में प्रस्तुत की जाती हैं। सूक्ष्म व्यवसाय के मालिक अधिक फुर्तीले होते हैं और नए विचारों को अधिक तेज़ी से आजमा सकते हैं, जो उनके विशेषीकृत बाज़ार में नवाचार को प्रोत्साहित करता है। सूक्ष्म उद्यमी अक्सर बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक चुस्त और नवोन्वेषी होते हैं। वे जल्दी से नए विचारों के साथ प्रयोग कर सकते हैं और बदलती बाज़ार मांगों के अनुरूप खुद को ढाल सकते हैं।

स्थानीय आर्थिक विकास: सूक्ष्म व्यवसाय अक्सर आपूर्ति, सेवाओं और श्रम के लिए क्षेत्र के विक्रेताओं का उपयोग करके और नागरिकों को कर्मचारियों के रूप में नियोजित करके समुदाय की अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे कर राजस्व उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। सूक्ष्म उद्यम अक्सर स्थानीय समुदायों को सेवा प्रदान करते हैं, रोज़गार सृजन करते हैं और वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करके स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। वे अपने आसपड़ोस को पुनर्जीवित करने और सामुदायिक विकास में योगदान देने में भी मदद कर सकते हैं।

आत्मनिर्भरता: सूक्ष्म कारोबार के मालिकों का अपनी कंपनियों और उनकी वित्तीय नियति पर अधिक प्रभाव होता है। वे बड़े व्यवसायों अथवा पारंपरिक रोज़गार ढांचे पर कम निर्भर होते हैं, जिससे सशक्तीकरण और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं।

विविधता : सूक्ष्म फर्में अक्सर विशिष्ट बाज़ारों को लक्षित करती हैं और ऐसे विशेष सामान या सेवाएं प्रदान करती हैं जो बड़ी कंपनियां नहीं दे सकती। इस विविध सूक्ष्म उद्यमिता के परिणामस्वरूप ग्राहकों के पास आए अधिक विकल्पों और प्रतिस्पर्धात्मकता से तरह-तरह के उद्योग और कारोबारी मॉडल भी तैयार हुए हैं। व्यक्ति अपने कौशल और रुचियों से मेल खाने वाले अवसरों की तलाश में विभिन्न क्षेत्रों और बाज़ारों का पता लगा सकते हैं।

सूक्ष्म व्यवसायों के विविध पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से आर्थिक मज़बूती भी बढ़ाई जा सकती है। जब बड़े उद्योगों में मंदी आती है तो छोटी कंपनियां अधिक तेज़ी से खुद को संभाल सकती हैं और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने में योगदान कर सकती हैं। सूक्ष्म उद्यम अपने छोटे आकार और अनुकूलन क्षमता के कारण आर्थिक मंदी के दौरान अधिक मज़बूत हो सकते हैं। वे ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पाद और सेवाएं दे सकते हैं।

कुछ सूक्ष्म व्यवसायों में समय के साथ विकास और विस्तार करने की क्षमता होती है, मगर अधिकांश की शुरुआत मामूली होती है। सफल सूक्ष्म कारोबार के मालिक अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकते हैं और बड़ी कंपनियां शुरू कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जहां सूक्ष्म उद्यमिता के कई फायदे हैं, वहीं इसमें वित्तीय अस्पष्टता, सीमित संसाधन की कमियां है और मज़बूत आत्म-अनुशासन की आवश्यकता है। हालाँकि, उद्यमशीलता की भावना और प्रयास करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए सूक्ष्म उद्यमिता लाभप्रद और उपयोगी कॅरियर हो सकता है।

आज, भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र रखने पर गर्व करता है। देश में 60,000 से अधिक कंपनियां कार्यरत हैं और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। इस उपलब्धि का श्रेय भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए अपने कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से दिए गए सक्रिय समर्थन को दिया जा सकता है।

उपरोक्त सभी पहलों को कई सरकारी पहलों और संसाधनों द्वारा सहयोग प्राप्त था जिसका उद्देश्य व्यवसायों को वित्तीय सहायता और कार्यशील पूंजी प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान उद्यमियों को कर प्रोत्साहन और छूट, कम ब्याज दरों के साथ ऋण, कौशल विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक खरीद में प्राथमिकता आदि जैसे कई लाभ प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा बनायी गई कई योजनाओं में से शीर्ष दस योजनाएं निम्न प्रकार हैं:-

- **एस्पायर - नवाचार, ग्रामीण उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना :** यह कार्यक्रम कृषि व्यवसाय क्षेत्र में अधूरी सामाजिक ज़रूरतों के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करने और गति बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे भारत में प्रौद्योगिकी केंद्रों और इन्क्यूबेशन केंद्रों का एक नेटवर्क बनाने के लिए लाया गया था। यह उपकरण और मशीनरी (भूमि और अवसंरचना के अलावा) की लागत का 100%, जो भी छोटा हो, के एकमुश्त अनुदान के माध्यम से आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटरों और/या प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और अभी भी जीविका के साधन के रूप में कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है। परिणामस्वरूप, उद्यमों को विकसित करने और कृषि उद्योग में नौकरियों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ यह पहल शुरू की गई थी। यह उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने, लोगों को काम पर रखने और उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज़िला-स्तरीय आर्थिक विकास को जमीनी स्तर से सहयोग देना है।

➤ **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :** माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) नामक यह गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इस योजना के माध्यम से भारत में सूक्ष्म उद्यम बाज़ार के विस्तार में सहयोग करता है। मुद्रा सूक्ष्म इकाइयों को 10 लाख रु तक की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों और/या माइक्रोफाइनेंस संगठनों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। विकास के चरण, वित्त की मांग, कंपनी की अवधि और इन उद्यमों द्वारा प्राप्त ऋण की राशि के आधार पर ऋणों को तरुण, किशोर और शिशु की श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

➤ इन संपत्तियों को संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है और छोटे व्यवसाय, जो न तो कॉर्पोरेशन हैं और न ही फर्म, 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हैं। यह ऋण विभिन्न प्रकार की नौकरियों और आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। प्रायः सेवा प्रदाताओं, स्टोर मालिकों और स्ट्रीट वेंडरों के पास इसकी पहुँच होती है। अतिरिक्त ऋण, कार्यशील पूंजी, यात्राओं के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑटोमोबाइल और के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए यह भारतीय व्यापार उद्यमियों की सहायता के लिए बनाया गया एक अनूठा कार्यक्रम है।

➤ **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए समर्थन (एसआईपी-ईआईटी) :** कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeiTY) द्वारा भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय (एमएसएमई) और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को विदेशी पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए सरकारी सहायता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। परिणामस्वरूप, इससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है, ब्रांड की पहचान भी बढ़ती है और वैश्विक बौद्धिक संपदा संरक्षण के महत्व और क्षमता की समझ बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योग्य संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय पेटेंट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदन जमा कर सकती हैं। प्रत्येक नवप्रवर्तन के लिए अधिकतम राशि 15 लाख रुपये या आवेदन दाखिल करने और पेटेंट से जुड़ी पूरी लागत का 50% जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

➤ **गुणक अनुदान योजना (एमजीएस) :** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कंपनियों को उत्पाद और पैकेज तैयार करने के लिए प्रमुख सरकारी और शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास समूहों के साथ सहयोग करने के लिए, कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ, एक बार फिर इस पहल को विकसित किया। परिणामस्वरूप,

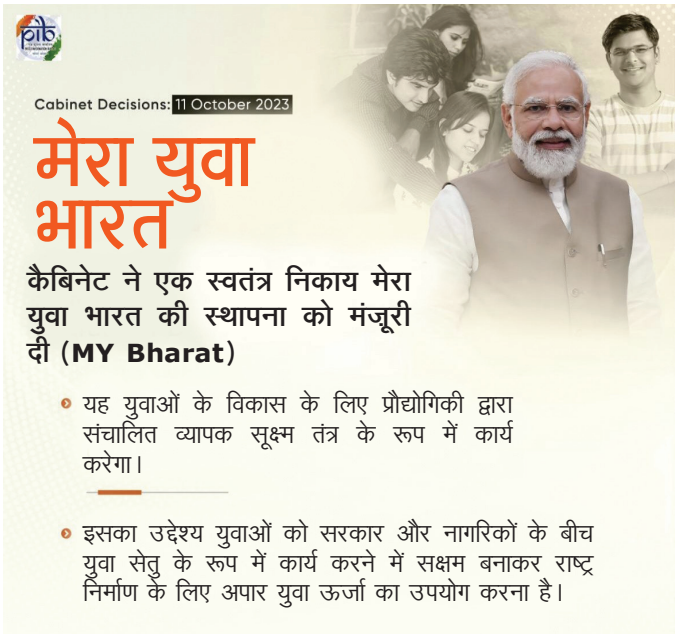

वैश्वीकरण की अवधारणा के संकल्पना साक्ष्य के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के संबंधों में सुधार होगा और घरेलू उत्पाद निर्माण में तेज़ी आएगी।

इस रणनीति के अनुसार, सरकार उन वस्तुओं के अनुसंधान एवं विकास के लिए उद्योग निवेश से मेल करेगी जिन्हें अधिकतम दोगुने मूल्य तक बेचा जा सकता है। एक उद्योग को एक परियोजना के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं, जिसकी वांछित परियोजना अवधि 2 वर्ष से कम है। उद्योगों के एक समूह को तीन वर्ष की अवधि के दौरान 4 करोड़ रुपये तक दिए जा सकते हैं।

➤ **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) :** सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना लागू करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की। यह कार्यक्रम एमएसई क्षेत्र में कर्ज़ की आवक को सुविधाजनक बनाते हुए ऋण वितरण प्रणाली को मज़बूत करता है। यह स्टार्टअप, छोटे व्यवसायों और सूक्ष्मफर्मों को काफी रियायती दरों पर और रेहन की आवश्यकता के बिना ऋण प्रदान करता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक पात्र ऋण लेने वालों के लिए 200 लाख रुपये तक निधि और गैर-निधि-आधारित क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करता है। ऋण प्राप्त करने के लिए कार्यशील पूंजी या सावधि ऋण का उपयोग किया जा सकता है। यह कार्यक्रम अधिकतर विनिर्माण या सेवा-आधारित व्यवसायों के लिए है।

(पृष्ठ 28 पर जारी)

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

से महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित

"आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, तो बहुत आवश्यक है कि नीति-निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।"

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

नारी शक्ति वंदन अधिनियम: देशभर में खुशी की लहर

- नारी शक्ति वंदन अधिनियम से भारत ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाए **मजबूत कदम**।
- लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों ने उनकी **आवाज़ को सशक्त बनाया**।
- आरक्षित कोटे के अंतर्गत **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण**।
- यह अधिनियम **लैंगिक समानता** और **समावेशिता** के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- यह कानून **महिला नेतृत्व को बढ़ावा** देता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

निरंतर आगे बढ़ती नारी शक्ति

- रक्षा सेवाओं में **महिला अधिकारियों** को **स्थायी कमीशन** प्रदान किया गया।
- **सैनिक स्कूल अब लड़कियों के लिए भी खुले**।
- **सशस्त्र बलों** ने **राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी (एनडीए) में महिला उम्मीदवारों** के लिए प्रवेश खोले।
- जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर **पहली बार** राइफल महिलाओं की तैनाती।
- **दुनिया भर में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में हैं।**
- **100** से अधिक **महिलाओं** ने **चंद्रयान-3** मिशन को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारत में **एसटीईएम** (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) **स्नातकों** में से **43%** महिलाएं हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है।

महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान

स्टैंड-अप इंडिया
81% लोन महिलाओं को, समावेशी आर्थिक विकास हुआ सुनिश्चित।

पीएम मुद्रा योजना
लगभग **70% खाते** महिला उद्यमियों के हैं।

56% जनधन खाते महिलाओं के नाम पर हैं, जो महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।
पीएम जनधन योजना

जल जीवन मिशन
13 करोड़ से अधिक नल से जल कनेक्शन **ग्रामीण जीवन में बदलाव** ला रहे हैं।

उज्ज्वला योजना
लगभग 10 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शनों ने महिलाओं को खाना पकाने का धुआं-मुक्त वातावरण प्रदान किया।

पीएम आवास योजना - ग्रामीण
लगभग **2.5 करोड़ पीएम आवास-ग्रामीण** घरों में से 70% का स्वामित्व महिलाओं के पास।

26 सप्ताह की पेड मैटरनिटी लीव
भारत वैश्विक स्तर पर **सबसे लम्बे सवेतन** मातृत्व अवकाशों में से एक प्रदान करता है, इसे 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।

तीन तलाक ख़त्म
तीन तलाक की प्रथा समाप्त कर **मुस्लिम महिलाओं** की गरिमा सुनिश्चित की गई।

cbc 22201/13/0065/2324

(पृष्ठ 25 से जारी)

स्टार्टअप : उद्यमिता कौशल निखारने का उत्कृष्ट अवसर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर ग्रामीण युवाओं को रोज़गार पाने के लिए संघर्ष करने के बजाय 'नियोक्ता' बनने पर ज़ोर देते हैं। इस दृष्टिकोण से 'स्टार्टअप' ग्रामीण भारत में युवाओं को अपने उद्यमिता कौशल को निखारने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं। ये सीखने के अवसर अनेक हैं:

ग्रामीण व्यापार मालिकों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास पहल को अक्सर स्टार्टअप द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। स्टार्टअप स्थानीय आबादी के कौशल में सुधार करके ग्रामीण स्थानों में अधिक कुशल और सक्षम कार्यबल बनाने में मदद करते हैं।

प्रौद्योगिकी को अपनाना: स्टार्टअप तकनीक-संचालित समाधान प्रदान करते हैं जो ग्रामीण व्यापार मालिकों को उत्पादन और दक्षता बढ़ाने में मदद करते हैं। यह चिकित्सा उपकरण, वित्तीय सेवाओं और कृषि उपकरण जैसी चीज़ों पर लागू हो सकता है। ये प्रौद्योगिकियां ग्रामीण व्यापार मालिकों को बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाती हैं।

बिजनेस इनक्यूबेशन और समर्थन: ग्रामीण क्षेत्रों में, इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर, जो अक्सर युवा या मौजूदा व्यवसायों द्वारा चलाए जाते हैं, इच्छुक व्यवसाय मालिकों को मार्गदर्शन, उपकरण और बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। इन सहायता संरचनाओं के माध्यम से स्थानीय प्रतिभा और विचारों को बढ़ावा दिया जाता है।

नवाचार और समस्या-समाधान: स्टार्टअप अक्सर अधिक कल्पनाशील और सक्रिय होते हैं, जो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कठिनाइयों को पहचानने और उनका समाधान करने में सक्षम बनाते हैं। वे बिल्कुल नए उत्पाद और व्यावसायिक रणनीतियाँ बनाते हैं जो ग्रामीण समुदायों की विशेष आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुरूप होती हैं।

नेटवर्किंग और सहयोग: ग्रामीण क्षेत्रों में, स्टार्टअप अक्सर व्यापार मालिकों के बीच सहयोग और समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस नेटवर्किंग के परिणामस्वरूप सूचना, संसाधनों और सहकारी अवसरों का आदान-प्रदान हो सकता है।

➤ **एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) :** एक विकास कार्यक्रम है जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को सहयोग करता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) एसपीआरएस की देखरेख करता है। बिना किसी संदेह के, भारत सरकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सबसे बड़ी खरीददार है। यह योजना लघु-स्तरीय क्षेत्र में की गई खरीदारी की संख्या को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। सरकार का निर्देश है कि केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 25 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्यनों से ही करेंगे। साथ ही वस्तुओं की 358 श्रेणियां विशेष रूप से एमएसई से खरीदे जाने के लिए आरक्षित की गई हैं।

➤ **एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च या कोर रिसर्च ग्रांट (सीआरजी):** सीआरजी, जिसे पहले एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च फाइनेंसिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता था, 40 वर्ष से भी पहले शुरू किया गया था, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कार्यक्रमों में से एक है। इसके बाद विज्ञान और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड (एसईआरबी)की स्थापना की गई।

सीआरजी का लक्ष्य विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने में शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठनों की सहायता करना है। परिणामस्वरूप, यह स्थापित और उभरते दोनों शोधकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी, व्यक्तिगत-केंद्रित फंडिंग मॉडल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है।

➤ **उच्च जोखिम और उच्च पुरस्कार अनुसंधान:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई अवधारणाओं और पहलों को प्रोत्साहित करना और सहयोग देना है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यह चुनौतीपूर्ण सुझावों पर केंद्रित है जो यदि सफल होते हैं तो विज्ञान के लिए व्यापक रूप से लाभकारी हो सकते हैं। ऐसे सिद्धांत और प्रयोग जो उन्नत हैं, परिकल्पनाएं जो विवादित हैं, वैज्ञानिक खोजें, प्रमुख समस्याओं के लीक से हटकर समाधान और नई परिकल्पनाओं का निर्माण जिसके परिणामस्वरूप नई प्रौद्योगिकियों का विकास होता है, ऐसे सुझावों के कुछ उदाहरण हैं।

अनुसंधान अनुदान में ऊपरी प्रभार के अलावा उपभोग्य सामग्रियों, अप्रत्याशित व्यय, उपकरण और यात्रा व्यय को शामिल किया जाना चाहिए; इन परियोजनाओं के लिए कोई निर्धारित बजट सीमा नहीं है। यह राशि 3 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है लेकिन असाधारण परिस्थितियों में इसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

➤ **डिज़ाइन क्लीनिक योजना :** भारत सरकार ने घोषणा की कि प्रत्येक एमएसएमई और स्टार्टअप को किसी भी ब्रांड के विकास में नवाचार और डिज़ाइन के महत्व को समझने के बाद अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए एक डिज़ाइन-केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। एमएसएमई मंत्रालय ने छोटी कंपनियों को अपने उत्पादों के लिए नए और आविष्कारी डिज़ाइनों के साथ प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से एक स्थायी डिज़ाइन इको सिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन क्लीनिक योजना शुरू की।

इस कार्यक्रम के तहत डिज़ाइन सेमिनार में भाग लेने के लिए सरकार 60,000 रुपये तक तथा 3.75 लाख रुपये या सेमिनार के खर्च का 75% तक भुगतान करेगी; यदि सेमिनार किसी स्टार्टअप या एमएसएमई द्वारा आयोजित किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, उद्यमियों और प्रणेताओं को नवीनतम डिज़ाइन, सर्वोत्तम कार्यों और रुझानों के बारे में जानने, अन्य नवप्रवर्तकों और डिज़ाइनरों के साथ नेटवर्क बनाने, डिज़ाइन सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करने और अपने उत्पादों के डिज़ाइनों के उपयोग की स्थानीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा।

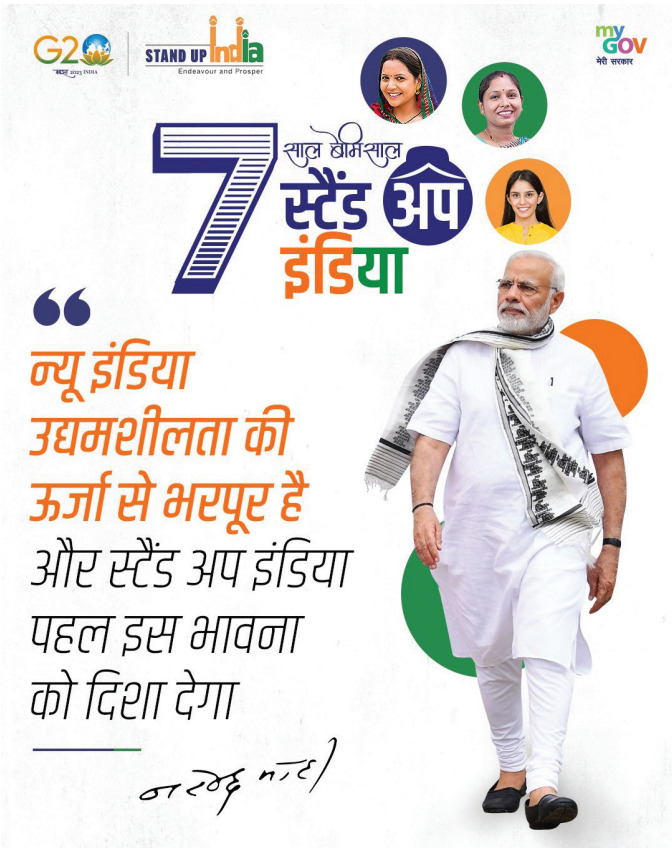

➤ **ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट (ज़ेड) योजना :** इसका उद्देश्य निर्माताओं को ऐसे बेहतर सामान बनाने के लिए प्रेरित करना है जो उच्च गुणवत्ता वाले, दोषमुक्त और विश्वसनीय हों। यह सहारा देने वाला (हैंडहोल्डिंग) कार्यक्रम है जो एमएसएमई को अत्याधुनिक उत्पादन तकनीकों को अपनाने, अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने और अपने सामान को लगातार बेहतर बनाने का मौका प्रदान करता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके उत्पादों में कोई खामी नहीं है, कार्यक्रम स्टार्टअप और एमएसएमई को संसाधन, प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, ज़ेड एक व्यापक प्रमाणन प्रदान करता है जो ज़ेड के लिए व्यवसायों का मूल्यांकन करता है और कंपनियों को कार्यक्रम के परिपक्वता मूल्यांकन मॉडल के साथ आगे बढ़ने में सहायता करता है।

इन और कई अन्य योजनाओं के साथ, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'स्टार्टअप इंडिया' का लक्ष्य स्टार्टअप और व्यापार मालिकों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक मज़बूत समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो नवाचार और उद्यमियों का सहयोग करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। अंततः बड़ी संख्या में नौकरी के अवसर पैदा करता है और देश की सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है।

'आत्मनिर्भर भारत' मिशन और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बाद में भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण और डिज़ाइन निर्यात के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया था। सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक तेज़ कर दिया है। ❑

WILEY
Online Exam Prep

दिवाली धमाका

विशेष मूल्य ऑफर*

यूपीएससी सीएसई (प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1) ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ 2024

सिविल सर्वेंट बनने का सपना साकार करने हेतु

39 प्रैक्टिस टेस्ट्स

ऑफर मूल्य

~~INR 8850/-~~

INR 5999**

- प्रसिद्ध शिक्षाविदों द्वारा रचित महत्वपूर्ण सामग्रियों सहित 4000 नवीन प्रश्नों की प्रस्तुति
- प्रारंभिक परीक्षा के साथ प्रश्नों की महत्वपूर्ण मैपिंग
- व्यक्तिगत प्रगति रिपोर्ट
- टेस्ट सीरीज़ अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में उपलब्ध
- निःशुल्क व्यक्तिगत ऑनलाइन परामर्श सत्र

ऑफर प्राप्त करने के लिए स्कैन करें अथवा वेबसाईट पर जाएं

examprep.wileyindia.com

अधिक जानकारी, व्यक्तिगत परामर्श एवं संस्थानिक पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें

वैभव कुमार जैन
मोबाइल: 7541826015
ईमेल: vkjain@wiley.com

संतोष गौतम
मोबाइल: 9956409263
ईमेल: skgautam@wiley.com

* दिवाली ऑफर 30 नवंबर 2023 तक मान्य है
** जी.एस.टी. सहित

स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण संबंधी प्रतिभा का विकास

-डॉ. आकांक्षा जैन

ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में शामिल करना एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, सामुदायिक सहभागिता और आर्थिक सशक्तीकरण शामिल है। ग्रामीण युवाओं को आवश्यक उपकरण और अवसर प्रदान करके, हम न केवल स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम लाने के लिए आबादी के एक बड़े हिस्से की क्षमता का भी उपयोग कर सकते हैं। युवाओं में निवेश, वर्तमान में स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करके, जीवन भर इसे बढ़ाकर और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य में योगदान देकर तिगुना लाभांश प्राप्त कर सकता है।

विविध आबादी और महत्वपूर्ण ग्रामीण आबादी वाले देश के रूप में भारत को अपने ग्रामीण समुदायों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और पोषण सेवाएं प्रदान करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने का एक महत्वपूर्ण पहलू इन समुदायों के भीतर प्रतिभा को निखारना है, उन्हें अपनी स्वास्थ्य देखभाल और पोषण आवश्यकताओं की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाना है।

भारत की ग्रामीण जनता के संदर्भ में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और पोषण में प्रतिभा को निखारना एक बहुआयामी चुनौती है, जिसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रौद्योगिकी एकीकरण, शिक्षा और सरकारी नीतियों जैसी रणनीतियों के माध्यम से, हम ग्रामीण समुदायों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल और पोषण आवश्यकताओं की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

यह लेख भारत में ग्रामीण जनता की स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी बहुमुखी मुद्दों पर प्रकाश डालेगा। यह ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की वर्तमान स्थिति तथा ग्रामीण समुदायों के समक्ष आने वाली बाधाओं और चुनौतियों की पहचान

लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के भगिनी निवेदिता कॉलेज में सहायक प्रोफेसर (खाद्य और पोषण; खाद्य प्रौद्योगिकी) हैं।
ई-मेल : jainakankshaphd@gmail.com

सभी स्तरों पर लैंगिक समानता

करेगा, और प्रतिभा को निखारने, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई रणनीतियों और पहलों को भी प्रस्तुत करेगा। साथ ही, सकारात्मक बदलाव लाने में सामुदायिक सहभागिता, सरकारी नीतियों और विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी के महत्व पर भी प्रकाश डालेगा। कृषि और आजीविका को सतत बनाने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को शुरू करने की आवश्यकता है।

भारत में सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रामीण युवा प्रतिभा का परिपोषण

भारत अपनी विशाल ग्रामीण आबादी के साथ, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय स्थिरता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच आदि से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। ग्रामीण युवा, जो कि देश की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु उचित दिशा देने और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तथा सतत विकास हेतु मूल्यवान संसाधन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न एसडीजी को पूरा करने में ग्रामीण युवा निम्नलिखित प्रकार से योगदान दे सकते हैं:

- **अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण (एसडीजी 3) :** अच्छा स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति, परिवार या राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। ग्रामीण भारत में युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और समाज कल्याण के प्रति उनके रुझान को बढ़ाना चाहिए।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (एसडीजी 4) :** ग्रामीण युवा अपने समुदायों में बेहतर शैक्षिक, बुनियादी ढांचे और संसाधनों का उचित इस्तेमाल करके परिवर्तन के एजेंट बन सकते हैं। उन्हें शैक्षिक पहलों में शामिल करके और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर ज्ञान और जानकारी तक पहुँचने के लिए सशक्त बना सकते हैं जिससे शिक्षा अधिक सुलभ और प्रासंगिक हो सकती है।
- **लैंगिक समानता (एसडीजी 5) :** ग्रामीण युवाओं को लिंग संवेदीकरण कार्यक्रमों में शामिल करना और समुदायों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना परिवर्तनकारी हो सकता है। युवा महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना और युवा पुरुषों को लैंगिक समानता के महत्व के बारे में शिक्षित करना, इस लक्ष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
- **स्वच्छ जल और स्वच्छता (एसडीजी 6) :** ग्रामीण भारत अभी भी इस लक्ष्य से बेहद दूर है। ऐसे में युवाओं को इस संदर्भ में जागरूक करने और प्रशिक्षण के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।
- **उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास (एसडीजी 8) :** ग्रामीण युवा कृषि व्यवसाय और उद्यमिता में भाग लेकर आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और ऋण तक पहुँच उन्हें स्थायी आजीविका और अपने क्षेत्रों की समृद्धि में योगदान के लिए तैयार कर सकती है।
- **असमानताओं में कमी (एसडीजी 10) :** ग्रामीण युवाओं को सामुदायिक विकास परियोजनाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करने से असमानताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। युवाओं को अपनी चिंताओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने से नीतियां और कार्यक्रम अधिक समावेशी और न्यायसंगत हो सकते हैं।
- **सतत् शहर एवं संतुलित समुदाय (एसडीजी 11) :** ग्रामीण युवाओं को सामुदायिक योजना और सतत् संसाधन प्रबंधन में

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना

उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन

सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। युवा पर्यावरण अनुकूल और सुनियोजित ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता हैं। वे ज़िम्मेदार शहरीकरण को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकते हैं।

- **उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन (एसडीजी 12) :** ग्रामीण युवा सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें अपशिष्ट को कम करने, संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय उद्योगों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन कार्यवाई (एसडीजी 13) :** ग्रामीण युवाओं को पर्यावरण संरक्षण पहल, वृक्षारोपण अभियान और जलवायु जागरूकता अभियानों में शामिल करने से पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। वे अपने समुदायों में जलवायु चैंपियन बन सकते हैं।
- **शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं (एसडीजी 16) :** कानूनी जागरूकता और पक्षपोषण को बढ़ावा देकर, ग्रामीण युवा एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। वे अपने समुदायों के भीतर न्याय और जवाबदेही तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर सकते हैं।
- **लक्ष्य हेतु भागीदारी (एसडीजी 17) :** ग्रामीण युवा सहयोगात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों-सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। उनके नए दृष्टिकोण और नवीन विचार ऐसी साझेदारियां बनाने में मदद कर सकते हैं जो सतत विकास को आगे बढ़ाएं।

संक्षेप में, भारत में ग्रामीण युवा न केवल विकास के लाभार्थी हैं बल्कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता भी हैं। एसडीजी हासिल करने में नेतृत्व करने के लिए ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाना सिर्फ एक नीतिगत विकल्प नहीं है, बल्कि एक उज्जवल और अधिक सतत भारत के निर्माण के लिए एक नैतिक अनिवार्यता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल और पोषण पर ध्यान केंद्रित करने वाली कुछ सरकारी पहल

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के माध्यम से, 6-36 महीने की आयु के बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं को घर पर उपभोग के लिए टेक-होम राशन (टीएचआर) वितरित किया जाता है। टेक होम राशन का उद्देश्य पूरक आहार के माध्यम से शिशुओं और छोटे बच्चों में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना है।

सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2014 को **स्वच्छ भारत मिशन** का आरंभ किया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत ओडीएफ प्लस गतिविधियां ओडीएफ व्यवहार को सुदृढ़ करेंगी और गांवों में ठोस एवं तरल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए मध्यवर्तन करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। राष्ट्र ने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2023 तक 'कचरामुक्त भारत' विषय के साथ स्वच्छता गतिविधियों का एक पखवाड़ा - 'स्वच्छता ही सेवा' (SHS) मनाया। साथ ही, 'स्वच्छता ही सेवा' को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या अभिन्न अंग बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

पोषण अभियान के अंतर्गत प्रमुख पोषण रणनीतियां और हस्तक्षेप हैं- आईवाईसीएफ* (शिशु और छोटे बच्चे का आहार), भोजन और पोषण, टीकाकरण, संस्थागत वितरण, वॉश (WASH) (जल, साफ-सफाई और स्वच्छता), डी-वर्मिंग, ओआरएस-जिंक,

समावेशी, जलवायु अनुकूल कार्यवाई

अभावों की संकेतकवार तुलना (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2023)

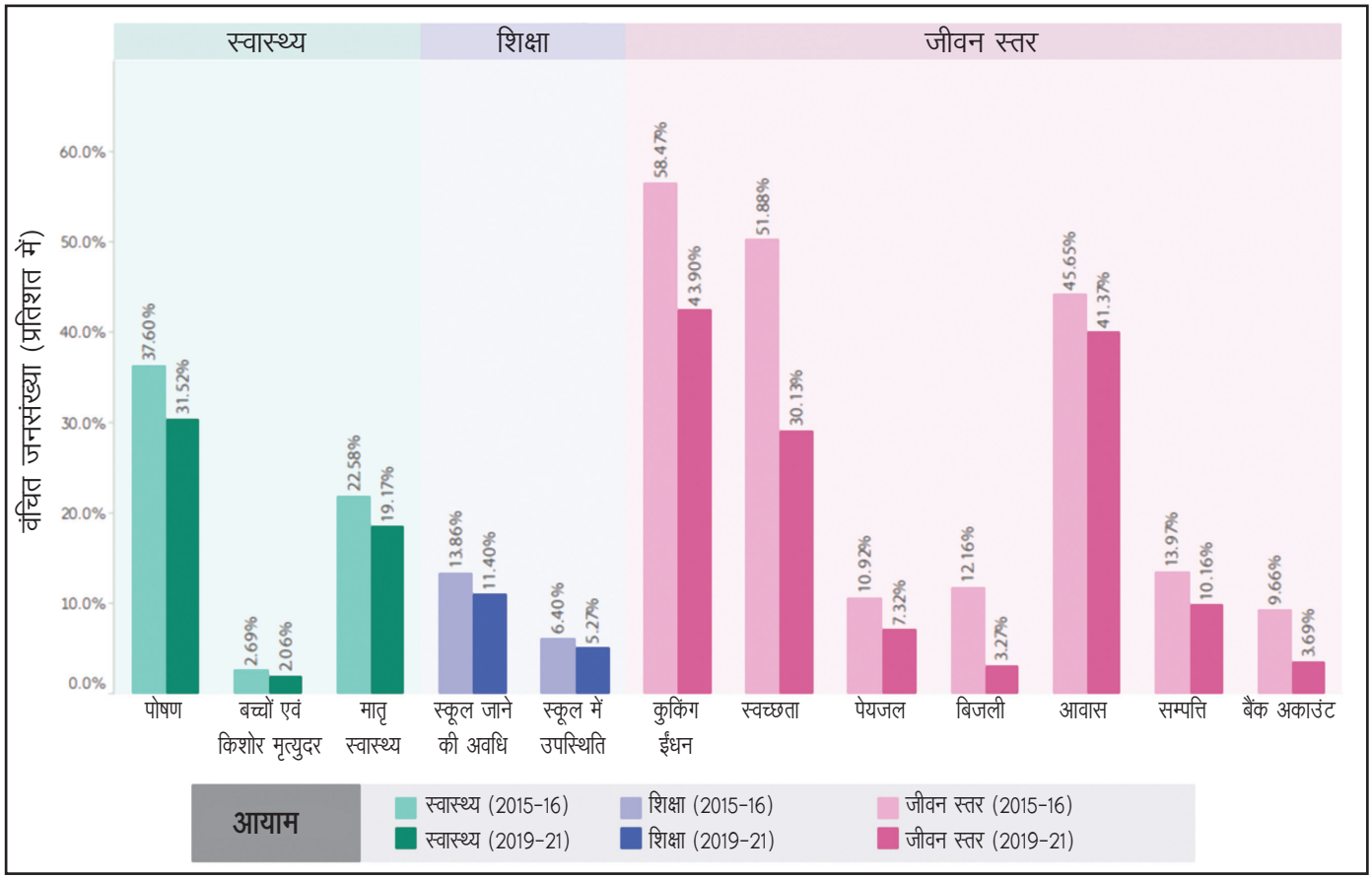

फूड फोर्टिफिकेशन, आहार विविधीकरण, किशोर पोषण, मातृ स्वास्थ्य और पोषण, ईसीडी (प्रारंभिक बचपन विकास)/ईसीसीई (प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा), कन्वर्जेंस, आईसीटी-आरटीएम (सूचना और संचार)।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के अलावा प्राथमिक स्कूलों में प्री-स्कूल या बाल वाटिका (कक्षा 1 से पहले) के बच्चों को भी गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

आकांक्षी ज़िलों के लिए परिवर्तन कार्यक्रम 28 राज्यों से पहचाने गए 112 ज़िलों के समग्र परिवर्तन के लिए उत्तम स्वास्थ्य और पोषण पर केंद्रित है।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में व्याप्त अभावों को दर्शाता है। स्वास्थ्य आयाम में पोषण, बाल मृत्युदर और मातृ स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतक शामिल हैं।

स्वच्छता, पोषण, खाना पकाने के ईंधन, वित्तीय समावेशन, पेयजल और बिजली तक पहुँच में सुधार पर सरकार के समर्पित फोकस से इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एमपीआई के सभी 12 मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य संबंधी अभावों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) जैसी पहलों ने पूरे देश की स्वच्छता में सुधार किया है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) : इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10-19 वर्ष के किशोर एवं किशोरियों को किशोर स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से सुविधा आधारित पीयर एजुकेटर कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय-स्तरीय सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया है।

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम (डब्ल्यूआईएफएसपी) : डब्ल्यूआईएफएस में आयरन और फोलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया की रोकथाम के लिए स्कूल जाने वाले लड़कों एवं लड़कियों और स्कूल से बाहर की लड़कियों को साप्ताहिक पर्यवेक्षित आईएफए टेबलेट और हेल्मिंथिक नियंत्रण के लिए द्विवार्षिक एल्बेंडाज़ोल टेबलेट का प्रावधान शामिल है।

सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम : सहकर्मी शिक्षक (पीई) समुदाय में 15-20 लड़कों और लड़कियों के समूह बनाते हैं और किशोर स्वास्थ्य पर साप्ताहिक एक से दो घंटे के भागीदारी सत्र आयोजित

*IYCF - Infant & Young Child Feeding

करते हैं। किशोर स्वास्थ्य और कल्याण दिवस (एएचडी) एक त्रैमासिक गाँव/समुदाय स्तर की गतिविधि है जो किशोर स्वास्थ्य मुद्दों और किशोर देखभाल करने वालों और प्रभावशाली लोगों के बीच उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित की जाती है।

किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक (एएफएचसी)

राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि पहल : राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इन सुविधाओं तक पहुँचने वाले सभी लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर के आधार पर आवश्यक दवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए समर्थन दिया जाता है।

निःशुल्क निदान पहल (एफडीआई) : इस पहल के तहत, 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में देखभाल के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक निदान का एक सेट निःशुल्क प्रदान करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की गई।

राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं (एनएएस) : एनएचएम के तहत, केंद्रीकृत टोल-फ्री नंबर 108/102 से जुड़े कार्यात्मक राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस) नेटवर्क के माध्यम से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) : प्राथमिक देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष रूप से दूरस्थ, कठिन, कम सेवा वाले और पहुँच से वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए दरवाज़े पर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच की सुविधा प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है।

ग्रामीण आबादी, विशेषकर कमज़ोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) शुरू किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कुछ प्रमुख पहल

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत गरीब और कमज़ोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) - इस पहल में मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के आश्वासन वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें निःशुल्क व्यापक स्वास्थ्य पहुँच और गुणवत्तापरक देखभाल सेवाएं, सेवाओं से इंकार के लिए शून्य सहिष्णुता तथा महिलाओं के आत्मनिर्णय, गरिमा, भावना, चयन और प्राथमिकता आदि के लिए सम्मान के साथ-साथ जटिलताओं के आश्वासन प्रबंधन को शामिल किया गया है।

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) - संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक मांग प्रोत्साहन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) - इसके तहत, प्रत्येक गर्भवती महिला मुफ्त परिवहन, निदान, दवाओं, अन्य उपभोग्य सामग्रियों और आहार के प्रावधान के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिज़ेरियन सेक्शन सहित मुफ्त प्रसव की हकदार है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान : गर्भवती महिलाओं को एक निश्चित दिन यानी हर महीने के 9वें दिन एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा निःशुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच प्रदान की जाती है।

लक्ष्य : प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिले।

मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) : आईसीडीएस के साथ मिलकर पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल के प्रावधान के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक आउटरीच गतिविधि है।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल : गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए एक नाम-आधारित वेब-सक्षम ट्रैकिंग प्रणाली है ताकि उन्हें प्रसवपूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल सहित नियमित और पूर्ण सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेत, लाभ योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित

करने के लिए एमसीपी कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका वितरित की जाती है।

डिलीवरी पॉइंट : व्यापक आरएमएनसीएएच+एन सेवाओं के प्रावधान के लिए बुनियादी ढांचे, उपकरण और प्रशिक्षित जनशक्ति के मामले में देश भर में 25,000 से अधिक 'डिलीवरी पॉइंट' को मज़बूत किया गया है।

माताओं और बच्चों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च केसलोड सुविधाओं पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग की स्थापना की गई है।

गर्भवती महिलाओं के लिए देखभाल की गुणवत्तापूर्वक पहुँच में सुधार के लिए जनशक्ति, रक्त भंडारण इकाइयों, रेफरल लिंकेज को सुनिश्चित करके प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) का कार्यान्वयन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मिशन परिवार विकास, किशोर मैत्रीपूर्ण स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), मासिक धर्म स्वच्छता योजना, सुविधा-आधारित नवजात देखभाल (एफबीएनसी), घर-आधारित नवजात देखभाल कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता और कार्यवाई से निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने जैसी पहल (SAANS), छोटे बच्चे के लिए घर आधारित देखभाल (HBYC), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK), प्रारंभिक बचपन विकास (ECD), व्यापक गर्भपात देखभाल (CAC), पोषण पुनर्वास केंद्र (गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए एनआरसी) कार्यक्रम कार्यान्वयन में मदद दी जाती है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को मज़बूत करने, नए टीकों की शुरुआत के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

आगे की राह

भारत सहित कई देशों में ग्रामीण समुदायों के सामने बार-बार आने वाली चुनौतियों से निपटने में स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों में स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच और कुपोषण की उच्च दर शामिल हैं। ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाना न केवल इन मुद्दों का समाधान करता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है।

ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में शामिल करने के व्यापक तरीके और साधन निम्नलिखित हैं:

शिक्षा एवं कौशल विकास : स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं की सक्रिय भागीदारी का आधार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास है। शिक्षा प्रणालियों में निवेश का ध्यान ग्रामीण युवाओं को प्रासंगिक स्वास्थ्य देखभाल और पोषण पाठ्यक्रम प्रदान करने पर होना चाहिए। इन कार्यक्रमों में न केवल चिकित्सा और पोषण संबंधी ज्ञान शामिल होना चाहिए, बल्कि प्राथमिक चिकित्सा, सामुदायिक स्वास्थ्य मूल्यांकन और पोषण परामर्श जैसे व्यावहारिक कौशल भी शामिल होने चाहिए।

व्यावसायिक प्रशिक्षण : व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य देखभाल और पोषण में नौकरियों के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल से लैस किया जा सकता है। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पोषण विशेषज्ञ और पैरामेडिक्स के रूप में प्रशिक्षण शामिल है। इन कार्यक्रमों की पेशकश करके, सरकारें और गैर-सरकारी संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल के अंतर को पाटने में मदद कर सकते हैं।

ग्रामीण मेडिकल और नर्सिंग स्कूलों की स्थापना : ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल और नर्सिंग स्कूलों की स्थापना से स्थानीय प्रतिभाओं को स्वास्थ्य सेवा में कॅरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन संस्थानों को ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा, शहरी मेडिकल कॉलेजों के साथ साझेदारी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच आसान हो सकती है।

मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक : मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक उन दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँच सकते हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। ये क्लीनिक चिकित्सा जांच, टीकाकरण और पोषण मूल्यांकन प्रदान कर सकते हैं। वे ग्रामीण आबादी और औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

सामुदायिक व्यस्तता : स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने में ग्रामीण युवाओं को अपने समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इसे युवाओं के नेतृत्व वाली स्वास्थ्य समितियों की स्थापना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। युवा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और समुदाय के बीच मध्यस्थ के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हैं।

पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान को बढ़ावा : ग्रामीण युवाओं को अक्सर पारंपरिक और स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं का ज्ञान होता है। यह ज्ञान समग्र स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान करने में मूल्यवान हो सकता है। औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के भीतर इन प्रथाओं के दस्तावेज़ीकरण और एकीकरण को प्रोत्साहित करने से सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।

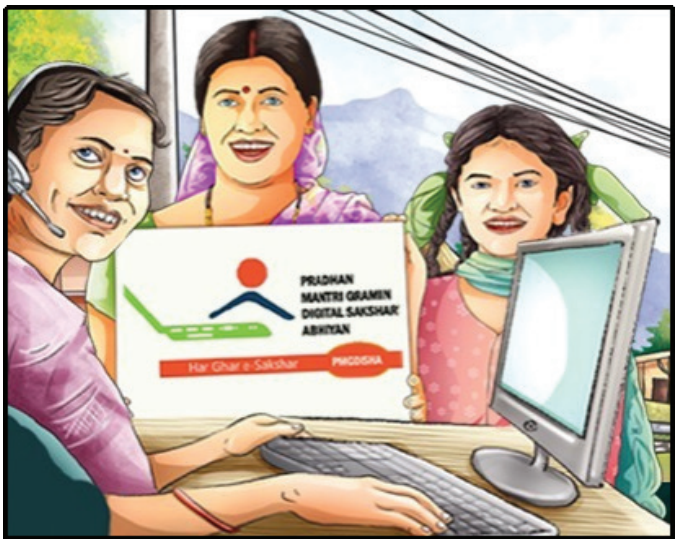

डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता

डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता : ग्रामीण युवाओं को डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे स्वास्थ्य देखभाल पहुँच, निगरानी और शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकें। टेलीमेडिसिन और मोबाइल स्वास्थ्य ऐप दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ा सकते हैं और युवा इस प्रक्रिया में मूल्यवान मध्यस्थ हो सकते हैं।

पोषण जागरूकता अभियान : ग्रामीण समुदायों को संतुलित आहार के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए पोषण जागरूकता अभियान नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। इन अभियानों में खाना पकाने का प्रदर्शन, किचन गार्डन पर कार्यशालाएं और पोषक तत्वों की खुराक का वितरण शामिल हो सकता है।

उद्यमिता और आर्थिक अवसर : स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना ग्रामीण आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक हो सकता है। सरकारें और संगठन स्वास्थ्य देखभाल क्लीनिक, पोषण केंद्र या संबंधित व्यवसाय शुरू करने में रुचि रखने वाले ग्रामीण युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और सलाह प्रदान कर सकते हैं।

लैंगिक समानता और सशक्तीकरण : ग्रामीण समुदायों में लैंगिक असमानताएं स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में युवा महिलाओं की भागीदारी को सीमित कर सकती हैं। इसलिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल के अवसर तक पहुँच में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। युवा महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और पोषण विशेषज्ञ बनने के लिए सशक्त बनाने से परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी : सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच सहयोग स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है। निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश कर सकते हैं, जबकि सरकारी नीतियां स्वास्थ्य सेवाओं में युवाओं की भागीदारी के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं।

अनुसंधान और नवाचार : ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्रामीण युवाओं द्वारा किए गए शोध से विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल समाधानों का विकास हो सकता है। नवीन विचारों और परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने से स्वास्थ्य देखभाल पहुँच और पोषण प्रथाओं में महत्वपूर्ण सुधार लाया जा सकता है।

पक्षपोषण और नीति प्रभाव : ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य देखभाल और पोषण नीति में बदलाव के लिए पक्षपोषण के प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उनके दृष्टिकोण और अनुभव उन नीतियों को प्रस्तावित कर सकते हैं जो ग्रामीण समुदायों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से संबोधित करती हैं।

निष्कर्षतः ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में शामिल करना एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, सामुदायिक सहभागिता और आर्थिक सशक्तीकरण शामिल है। ग्रामीण युवाओं को आवश्यक उपकरण और अवसर प्रदान करके, हम न केवल स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम लाने के लिए आबादी के एक बड़े हिस्से की क्षमता का भी उपयोग कर सकते हैं। इस क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाना न केवल उनके भविष्य में निवेश है बल्कि ग्रामीण समुदायों में समग्र कल्याण और समृद्धि प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। निरंतर प्रयासों और ग्रामीण-शहरी स्वास्थ्य सेवा विभाजन को पाटने की प्रतिबद्धता के माध्यम से, भारत अपनी ग्रामीण प्रतिभा की क्षमता को उजागर कर सकता है, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकता है और अपने सभी नागरिकों के लिए एक स्वस्थ और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकता है।

युवाओं में निवेश, वर्तमान में स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करके, जीवन भर इसे बढ़ाकर और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य में योगदान देकर तिगुना लाभांश प्राप्त कर सकता है। ❑

प्रतिभाओं की खोज के लिए डाक नेटवर्क

-अमन शर्मा

भारत के विशाल भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या को देखते हुए, एक बहुत बड़े जनसंख्या आधार में से, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, एक व्यापक फ़लक वाले प्रतिभा खोजतंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके बाद प्रतिभाशाली और जन्मजात प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जानी चाहिए। जन्मजात प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा को राज्यों के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में निखारा जाना चाहिए।

डाक विभाग 160 वर्षों से अधिक समय से देश के संचार तंत्र का आधार रहा है और देश के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय के साथ डाक विभाग ने स्वयं को भी रूपांतरित किया है। 2014 के बाद से, देश की डाक प्रणाली न केवल फैली है, बल्कि इसने असाधारण रूप से प्रौद्योगिकी में प्रगति भी की है, जिस वजह से भारत में पोस्टल नेटवर्क ने स्वयं को एक अत्याधुनिक और बहु-सेवा प्रदाता के रूप में सक्षम बनाया है। डाक विभाग ने अपने 1.59 लाख से अधिक डाकघरों के व्यापक डाक नेटवर्क और मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, देश के कोने-कोने तक अपना विस्तार कर असाधारण उपलब्धि हासिल की है।

डाकघरों ने बैंकिंग, बीमा, मेल, नागरिक केंद्रित सेवाएं आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाले 'वन-स्टॉप सेंटर' के रूप में देश के नागरिकों के जीवन को परिवर्तित कर दिया है। भारतीय डाक केंद्र सरकार की एकमात्र संस्था है, जो देश के कोने-कोने में मौजूद है। भारतीय डाक नेटवर्क मुख्यतः ग्रामीण केंद्रित है, जिसमें 90% से अधिक डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। 1.4 लाख ग्रामीण डाकघर देश के 6.50 लाख से अधिक गाँवों को कवर करते हैं, अर्थात् औसत आधार पर प्रत्येक ग्रामीण डाकघर, निकटवर्ती लगभग 5 गाँवों को कवर करता है।

लेखक संचार मंत्रालय के डाक विभाग में डिप्टी डायरेक्टर जनरल (कॉरपोरेट प्लानिंग) के पद पर कार्यरत हैं। ई-मेल : aman3172@gmail.com

अभी तक, ग्रामीण डाकघर मुख्यतः एक पारंपरिक भौतिक इकाई के रूप में प्रचालनरत थे और इन निकटवर्ती 5 गाँवों के नागरिकों को डाक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्वयं उपस्थित होना पड़ता था। इससे न केवल सेवा संवितरण में कमी संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई, बल्कि डाकघर तक पहुँचने में लगने वाले समय और धन के कारण, यह ग्रामीण नागरिकों को महंगा भी पड़ता था। डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की बड़े स्तर पर शुरुआत किए जाने के बाद इस स्थिति में भारी बदलाव आए। हालांकि, इस परियोजना को 2012 में अनुमोदित कर दिया गया था, परंतु इसमें अधिक प्रगति नहीं हुई। तत्पश्चात् 2014 में इस परियोजना को फास्ट ट्रैक पर रखा गया। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से सभी 1.59 लाख डाकघरों का नेटवर्किंग किया जाना तथा डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकी रूप से और नागरिकों के द्वार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया।

डाकघरों के अपने विशाल नेटवर्क के साथ, डाक नेटवर्क देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचा है, जिससे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना संभव हुआ। वर्तमान में, विभाग के पास सक्रिय डाकघर बचत योजना खातों की संख्या 25.85 करोड़ है। 2014 के बाद से डाकघर बचत योजना के तहत बकाया शेष 6.19 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 16.34 लाख करोड़ रुपये हो गया है। कोर बैंकिंग समाधान के माध्यम से, डाक विभाग ने डाकघरों के अपने विशाल नेटवर्क को एक केंद्रीकृत बैंकिंग प्लेटफॉर्म में एकीकृत कर दिया है, जिसके ज़रिए देशभर में ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई-पासबुक, एनईएफटी-आरटीजीएस के माध्यम से अंतर-प्रचालनीय समाधान जैसी आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

वर्ष 2015 में डाकघर बचत खाताधारकों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के साथ-साथ अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी जन सुरक्षा योजनाएं शुरू की गईं। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार, डाकघरों में अटल पेंशन योजना खातों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसियों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसियों की कुल संख्या क्रमशः 3.91 लाख, 1.26 लाख और 20.85 करोड़ हैं।

इसके अतिरिक्त, डाक विभाग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की 650 शाखाओं और 1.44 लाख एक्सेस प्वाइंटों के माध्यम से 'द्वार पर बैंकिंग सेवाएं' भी मुहैया कराता है, जो पूर्णतः कागज़रहित बैंक है और विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने वर्ष 2024-25 के अपने लक्ष्य से पहले ही लक्षित लाभ अर्जित कर लिया है। एक सितंबर, 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की

शुरुआत के बाद से, बैंक में 6.64 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें 78% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं और 47% ग्राहक महिलाएं हैं, जिनमें कुल डिपोजिट लगभग 2579 करोड़ रुपये है। लगभग 84 लाख महिला ग्राहकों को उनके खातों में 5519 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) प्राप्त हुआ है। स्कूली छात्रों के लिए 15.09 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। इनमें से लगभग 37% छात्र लेन-देन कार्यों के लिए आईपीपीबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप का प्रयोग करते हैं। अब तक, आईपीपीबी ने 380.25 करोड़ लेन-देन कार्य किए हैं, जिसमें 4.72 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन शामिल हैं। इनमें से 70% से अधिक लेन-देन कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं द्वारा किए गए हैं। आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) सेवा, जो आईपीपीबी की सबसे लोकप्रिय सेवा है, ने एईपीएस को खाताधारक के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद, आधार से लिंक किसी भी बैंक (सार्वजनिक अथवा निजी श्रेणी के बैंक) खाते से धन आहरित करने में सक्षम बनाया है। अब तक, आईपीपीबी द्वारा एईपीएस का प्रयोग कर, 9.90 करोड़ बैंक खातों से 29,162 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि आहरित की गई है। कोविड महामारी के दौरान, एईपीएस ने पोस्टमैनों को 'ग्राहकों के द्वार' पर 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी संवितरित करने हेतु सक्षम बनाया। यह सेवा लॉकडाउन के दौरान, जब अधिकांश एटीएम नकदी-रहित थे तथा बैंक शाखाएं बंद थीं, मुसीबत में पड़े बहुत से लोगों के लिए जीवनरक्षक सिद्ध हुई। आईपीपीबी ने 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं और पोस्टमैन/जीडीएस अथवा आईपीपीबी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बैंकिंग संबंधी लेन-देन कार्य करने के लिए, डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करने संबंधी वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से 24,500 से अधिक वित्तीय साक्षरता शिविर भी आयोजित किए हैं।

आईपीपीबी की हाल ही में शुरू की गई **अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना** एक दूरदर्शी एवं किफायती बीमा योजना है

जिसका लक्ष्य देशभर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक कवरेज और सुरक्षा प्रदान करना है। यह सेवा, हमारे देश की उन्नति और विकास में श्रमिकों के अपार योगदान को स्वीकार करते हुए, उनकी वित्तीय स्थिरता और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की प्रायोगिक शुरुआत 8 जुलाई, 2023 को गुजरात के नडियाद, खेड़ा जिले में की गई थी। यह योजना गुजरात के वडोदरा, अहमदाबाद और राजकोट में चल रही है। वित्तीय सुरक्षा, आकस्मिक कवर और अस्पताल में भर्ती के लाभ को सुनिश्चित करते हुए यह योजना श्रमिकों को देश की प्रगति में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए सशक्त बनाएगी।

वित्तीय सेवाओं के अलावा आईपीपीबी, बीमा (जीवन, चिकित्सा और दुर्घटना) सेवाएं, आधार सेवाएं (मोबाइल नंबर अद्यतन) और पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रदान करता है। आधार सेवाएं सबसे सफल रही हैं, जिनमें 3 वर्षों में लगभग 5 करोड़ से अधिक लेन-देन किए गए और वे भी सभी 'घर के द्वार' पर किए गए।

डाक विभाग ने नागरिकों के लाभ के लिए पासपोर्ट और आधार सेवाएं प्रदान करने हेतु भी अपने व्यापक डाक नेटवर्क का प्रयोग किया है। विदेश मंत्रालय के सहयोग से 431 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) खोले गए हैं। 31 अगस्त, 2023 तक 1.18 करोड़ से अधिक पासपोर्ट के आवेदन प्रोसेस किए गए थे। पीओपीएसके वही सेवाएं प्रदान करता है जो किसी पासपोर्ट सेवा केंद्र में प्रदान की जाती हैं और पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल से लिंक है।

'आधार' सरकारी सेवाओं और सब्सिडियों का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गया है। निवासियों के आसपास सुरक्षित तरीके से आधार नामांकन और अद्यतन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए डाक विभाग आधार के लिए यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रहा है। पूरे भारत में कुल 13352 आधार नामांकन सह अद्यतन केंद्रों की स्थापना की गई है। 31 अगस्त, 2023 तक 8.25 करोड़ आधार

"डाकिए द्वारा पेंशनभोगियों के द्वार पर आईपीपीबी के माध्यम से प्रदान की गई डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) सेवाएं भी बहुत लोकप्रिय हैं और इससे वरिष्ठ नागरिकों को वर्ष में एक बार अपने जीवित होने का प्रमाण दर्ज करने के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर में नहीं जाना पड़ता है। अतः प्रौद्योगिकी के उपयोग ने भारतीय डाक के अखिल भारतीय सेवा वितरण नेटवर्क का इष्टतम उपयोग संभव कर दिया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से असंख्य नागरिकों का जीवन पूर्णतः बदल गया है।"

नामांकन अद्यतन किए गए हैं।

देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिकों को देशभर के डाकघरों में विभिन्न जी2सी (सरकार से नागरिकों को) और बी2सी (व्यवसाय से नागरिकों को) सेवाएं प्रदान करने के लिए देशभर के डाकघरों में "सामान्य सेवा केंद्रों" (पीओ-सीएससी) की स्थापना करने हेतु भारतीय डाक और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के बीच 2017 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल रूप से समावेशी समाज के सरकार के अधिदेश को सक्षम बनाया गया। 100 से अधिक नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए डाकघर, पीओ-सीएससी के रूप में ऑनबोर्ड हुए हैं जिसमें जी2सी (सरकार से नागरिकों को) के साथ-साथ बी2सी (व्यवसाय से नागरिकों को) सेवाएं दोनों शामिल हैं। जी2सी सेवाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएम एफबीवाई), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि); प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत); प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम); प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (पीएम-एलवीएम); राष्ट्रीय पेंशन योजना; पैन कार्ड ई-केवाईसी शामिल हैं।

प्रदान की जाने वाली बी2सी (व्यवसाय से नागरिकों को) सेवाओं में भारत बिल पेमेंट सिस्टम बिल (बिजली, गैस, पानी के बिल आदि), जीवन बीमा पॉलिसियों और मोटर वाहन, स्वास्थ्य और अग्नि बीमा आदि जैसे सामान्य बीमा के नवीकरण हेतु प्रीमियम राशि एकत्रित करना शामिल है। प्रदान की जाने वाली सेवाओं में तृतीय पक्ष की सेवाएं भी शामिल हैं जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए विभिन्न ऋणों के लिए किश्तें (ईएमआई) कलेक्ट करना और ऋणों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करना। पीओ-सीएससी के माध्यम से डाक विभाग सभी ई-शासन सेवाओं के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान कर रहा है और डिजिटल रूप से वंचित ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी के जीवन को आसान बनाने और व्यवसाय को आसान बनाने में योगदान दे रहा है। अब तक 1.41 लाख से अधिक डाकघरों में पीओ-सीएससी खोले जा चुके हैं।

> डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और प्रदान की जाने वाली नवीन सेवाओं के लिए इस नेटवर्क को दुरुस्त करने हेतु 'मिशन कर्मयोगी' को अक्षरशः लागू किया गया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल का उपयोग करते हुए 2022 में डाक कर्मयोगी पोर्टल की शुरुआत से ग्रामीण डाक सेवकों सहित 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को कई कौशल और सेवाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस पोर्टल का उपयोग करते हुए कुछ सप्ताह में ही आसानी से विभाग के लगभग 5 लाख विशाल कार्यबल को नए कौशल से परिचित कराया जा सकता है।

प्रतिभा खोज और पोषण का वर्तमान परिदृश्य

डाक नेटवर्क की क्षमताओं संबंधी पृष्ठभूमि के साथ, अब हम देश में प्रतिभा खोज और पोषण के वर्तमान परिदृश्य के बारे में चर्चा करते हैं।

प्रतिभा को प्रायः एक प्राकृतिक योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी व्यक्ति के साथ पैदा होती है, जैसे- गायन, चित्रकारी, ड्रॉईंग या एथलेटिक क्षमता आदि। प्रतिभा को कौशल से अलग माना जाता है, जिसे प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है अथवा सुधारा जा सकता है। तथापि, जब कोई राष्ट्र या समाज प्रतिभा की खोज करने की दिशा में प्रयास करता है, तो इसका उद्देश्य उस प्रतिभा को पोषित करना और तत्पश्चात उसे उचित मार्गदर्शन और कौशल प्रदान करके और बेहतर बनाना होता है, ताकि उस व्यक्ति को एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में तराशा जाए। अधिकांश देशों में प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और तत्पश्चात उन्हें सरकारी तंत्र के अंतर्गत लाकर उनका पोषण करने और उन्हें बढ़ावा देकर उन्हें सर्वोच्च कौशल प्रदान कर बेहतरीन राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में विकसित करने की योजनाएं और कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

भारत में, मुख्य रूप से दो धाराओं में प्रतिभा की खोज की जाती हैः शैक्षणिक और खेल।

शैक्षणिक

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एनटीएसई) प्रत्येक वर्ष दो स्तरों पर आयोजित की जाती है- स्टेज I (राज्य स्तर) और स्टेज II (राष्ट्रीय स्तर)। एनटीएसई चरण I का संचालन राज्यों द्वारा किया जाता है और एनटीएसई चरण II का संचालन एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है। कोई भी बच्चा, जिसने कक्षा 9 की परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किए हैं, वह एनटीएसई चरण I परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रम के छात्रों को भी पात्र माना जाएगा, बशर्ते उनकी आयु 1 जुलाई, YYYY (उसी वर्ष जिसमें उम्मीदवार परीक्षा दे रहा है) तक 18 वर्ष से कम हो और दसवीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होने के दौरान वह किसी काम पर न लगा हो।

एनटीएसई चरण I परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को एनसीईआरटी द्वारा आयोजित की जाने वाली चरण II परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

एनटीएसई विद्वानों को भारत सरकार द्वारा ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए 1250 रुपये प्रति माह और स्नात्तक और उच्च अध्ययन के लिए 2000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, एनटीएसई स्कॉलर होने पर निम्नलिखित लाभ मिलते हैंः

- यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में एनटीएसई विद्वानों को प्राथमिकता दी जाती है।
- सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सुप्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे आईआईआईटी-हैदराबाद, एनटीएसई विद्वानों को 15 सीटें प्रदान करता है। इस संस्थान को आईआईटी-बॉम्बे के समकक्ष माना जाता है।
- एनटीएसई विद्वानों को विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश के संबंध में प्राथमिकता मिलेगी।
- विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्राथमिकता।
- आईआईआईटी-दिल्ली, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाला एक इंजीनियरिंग कॉलेज एनटीएसई विद्वानों को 'बोनस अंक' देता है।

खेल

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (एनएसटीएसएस) 8-12 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभा की पहचान करने और पहचाने गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के पोषण के लिए बनाई गई है। यह योजना भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

8-12 आयु वर्ग के छात्रों (कक्षा IV से कक्षा VI में प्रवेश के लिए) के बीच खेल प्रतिभा की पहचान करना, जिनके पास किसी भी शारीरिक दुर्बलताओं के बिना एंथरोपोमैट्रिक, शारीरिक एवं शारीरिक क्षमताओं जैसे जन्मजात गुण होते हैं।

ज़िला स्तरीय खेल विद्यालयों/केंद्रीय खेल विद्यालयों/राष्ट्रीय खेल अकादमियों आदि में खेल क्षमता/प्रतिभा को बढ़ावा देना, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। इससे देश में खिलाड़ियों की अच्छी-खासी खेप तैयार करने में मदद मिलेगी।

इस योजना के तहत प्रतिभा की खोज **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल** के माध्यम से की जाती है, यहां इच्छुक पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन दायर कर सकते हैं। तत्पश्चात पात्र युवाओं को खेल स्ट्रीम के आधार पर, चयन परीक्षणों के लिए चिह्नित किए गए केंद्रों पर बुलाया जाता है। इन योजनाओं में प्रवेश के लिए विभिन्न पात्रता मानदंडों और परीक्षणों को पूरा करने के साथ-साथ कौशल परीक्षणों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

इसके अलावा, विद्यालयों से 8-14 आयु वर्ग में खेल प्रतिभाओं की खोज करने और उन्हें वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करके भविष्य में संभावित पदक विजेताओं के रूप में तैयार करने के लिए **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता** (एनएसटीसी) योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत, खेल के अच्छे बुनियादी ढांचे और विश्वसनीय खेल, प्रदर्शन रिकॉर्ड वाले विद्यालयों को भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) द्वारा अपनाया जाता है। यह योजना, तमाम उभरते हुए खिलाड़ियों को, एक ही स्कूल में पढ़ने और खेलने का अवसर प्रदान करती है। एनएसटीसी की इस मुख्य योजना, जिसमें विद्यालयों को नियमित रूप से शामिल किया जाता है, के अलावा भारत में स्वदेशी खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों सहित अन्य खेल प्रतिभाओं तक पहुँचने के लिए कुछ विशिष्ट उप-योजनाएं भी शुरू की गईं थीं। एनएसटीसी की इन उप-योजनाओं में स्वदेशी खेल, मार्शल आर्ट (आईजीएमए) और अखाड़े शामिल हैं। चयन मानदंडों में राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता और चिकित्सकीय रूप से 'फिट' प्रतिभागी होने तथा ज़िला-स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता या राज्य-स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से 'फिट' प्रतिभागी होने के अलावा, विभिन्न परीक्षणों में उत्तीर्ण होना शामिल है।

दूरदराज, जनजातीय एवं तटीय क्षेत्रों से चयन के लिए, प्रशिक्षणार्थियों का चयन प्रतिभागियों के बीच में प्रतियोगिता आयोजित करके भी किया जाता है। एक चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है। इस समिति में भारतीय खेल प्राधिकरण, स्कूल/अखाड़ा, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस आधार पर चिह्नित किए गए खिलाड़ियों का आयु-सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण और विभिन्न जांचों को लागू करके उपयुक्त पाए जाने पर प्रवेश दिया जाता है।

केंद्रीय योजनाओं के अतिरिक्त, कई राज्य सरकारों ने भी खेल प्रतिभाओं की खोज करने और निखारने के लिए बहुत-सी योजनाएं शुरू की हैं। कई राज्यों जैसे ओडिशा, गुजरात, मणिपुर, मिज़ोरम आदि द्वारा खेल प्रतिभा खोज (स्पोर्ट्स टेलेंट हंट) योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

ऐसी खेल प्रतिभा खोज योजनाओं के सुखद परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं जैसा कि हांगझांऊ में हाल ही में समाप्त हुए एशियाई खेलों में भारतीय दल द्वारा पदक तालिका में बेहतरीन प्रदर्शन से भी स्पष्ट होता है।

जबकि खेल प्रतिभाओं की खोज और इन्हें निखारने की मुहिम के निश्चित रूप से सुखद परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, अभी भी अकादमिक क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किए जाने की आवश्यकता है। एनटीएसई योजना प्रतिभाओं को चिह्नित करने और फिर उन्हें निखारने में समर्थ नहीं हो पाई है। योजना की मुख्य कमियों को निम्नानुसार गिनाया जा सकता है:-

- खेलों की दृष्टि से बहुत अधिक आयु लगभग 14-15 वर्ष में प्रतिभाओं को चिह्नित किया जाता है, जबकि इस आयु तक वंचित समाज के बच्चों में से बहुत बड़ा प्रतिशत पहले ही स्कूल जाना छोड़ चुका होता है। बीच में ही स्कूल छोड़ चुके बहुत से बच्चों में निश्चित रूप से कुछ ऐसे बच्चे भी शामिल होते होंगे जिनमें जन्मजात प्रतिभा होती होगी और जो सदैव के लिए निखरने से वंचित रह जाते हैं।
- प्रतिभा खोज परीक्षा में मानसिक क्षमता परीक्षण (एमएटी) और शैक्षिक योग्यता परीक्षा (एसएटी) का ढांचा संरचनात्मक होता है और इससे कमज़ोर वर्गों से आने वाले और संकीर्ण सोच क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चे नुकसान की स्थिति में रहते हैं।
- चयनित विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों के साथ-साथ एनडीए में उपलब्ध कराए गए लाभ प्रोफेशनल पाठ्यक्रम, रोज़गार आदि प्रतिभा निखारने में कभी-कभार ही प्रेरणादायी सिद्ध होते हैं।

विकसित राष्ट्रों का अनुभव

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फेडरल टीआरआईओ कार्यक्रम समाज के वंचित पृष्ठभूमि के ऐसे व्यक्तियों की पहचान करते हैं और उनकी सहायता करते हैं जिनमें उच्च शिक्षा में सफल होने की क्षमता है। टीआरआईओ के तहत 8 कार्यक्रमों में से प्रतिभा खोज (टीएस) ऐसे जूनियर हाई और हाई स्कूल विद्यार्थियों को चिह्नित करता है, जो आगे की कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संभावना को बढ़ाने के लिए पहल संबंधी कार्य-नीतियों से लाभान्वित हो सकते हैं। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में 475 से अधिक टीएस कार्यक्रम हैं जो 3,89,000 से अधिक विद्यार्थियों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक स्थानीय टीएस कार्यक्रम में कम से कम दो-तिहाई विद्यार्थी निम्न आय वाली आर्थिक पृष्ठभूमि से अवश्य होने चाहिए जहां माता-पिता के पास स्नात्तक की डिग्री नहीं हो। इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों

को अकादमिक कैरियर और वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराया जाता है और उन्हें हाई स्कूल के बाद स्नात्तक करने और अपनी पोस्ट-माध्यमिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रतिभा खोज (टेलेंट सर्च) में उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाता है जिन्होंने माध्यमिक या पोस्ट-माध्यमिक स्तर पर शिक्षा कार्यक्रम पूरा नहीं किया है ताकि वे प्रवेश या पुनः प्रवेश कर पोस्ट माध्यमिक शिक्षा पूरी कर सकें। प्रतिभा खोज (टेलेंट सर्च) का लक्ष्य वंचित समुदाय की पृष्ठभूमि के ऐसे युवाओं की संख्या को बढ़ाना है जिन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली है और अपनी पोस्ट माध्यमिक शिक्षा में नामांकन करते हैं, और उसे पूरा करते हैं।

रूस की सरकार द्वारा 2014 में सोची में खोला गया सीरियस एजुकेशन सेंटर खेल, कला और प्राकृतिक विज्ञान में उत्कृष्ट योग्यता वाले ग्रेड 5-11 के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए है। यह एक आवासीय स्कूल है जिसमें यात्रा, आवास, योजना और शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क है।

यदि हम इन दोनों देशों के अकादमिक प्रतिभा खोज और प्रतिभा को निखारने के कार्यक्रमों की तुलना करें, तो हम दोनों में निम्नलिखित मुख्य अंतर देख सकते हैं :-

1. संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलेंट सर्च प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बीच अकादमिक प्रतिभा की खोज करना और उसको निखारना है, जो अन्यथा उच्चतर अध्ययन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
2. सीरियस एजुकेशन सेंटर, सोची को कम आयु के प्रतिभाशाली बच्चों को चिह्नित करने और फिर उन्हें निःशुल्क शिक्षा, योजना आदि के माध्यम से निखारने के उद्देश्य से बनाया गया है।

भविष्य का मार्ग

भारत के विशाल भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या को देखते हुए, एक बहुत बड़े जनसंख्या आधार में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, एक विस्तृत फ़लक वाले प्रतिभा खोजतंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है और इसके बाद प्रतिभाशाली और जन्मजात प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जाए। ऐसे बच्चों को राज्यों के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में लाकर उनकी प्रतिभा को निखारा जाना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों को नियमित स्कूलों के माध्यम से निखारा जा सकता है, जबकि जन्मजात प्रतिभा वाले बच्चों को किसी विशेषीकृत केंद्रों की आवश्यकता होगी जैसा एक केंद्र 'सोची' (रूस) में स्थित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों की खोज में डाकघर की संभावित भूमिका

1. प्रत्येक ग्रामीण डाकघर (लगभग 1.5 लाख की संख्या) को ग्रामीण स्तरीय प्रतिभा खोज केन्द्र (वीएलटीएससी) बनाया जाना चाहिए और 10-15 वर्ष की उम्र के प्रतिभाशाली और प्रतिभावान बच्चों की खोज के लिए राष्ट्रीय योजना पर सूचना ब्रोशर और उच्च गुणवत्ता वाले बैनर/डिस्प्ले लगाए जाने चाहिए और उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।
2. ग्रामीण पोस्ट मास्टर को योजना पर और ग्रामीण नागरिकों के बीच योजना को बढ़ावा देने के संबंध में ऑनलाइन (डाककर्मयोगी अथवा आईजीओटी पोर्टल के माध्यम से) प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. ग्रामीण पोस्ट मास्टर अपने क्षेत्र में प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के साथ निकट समन्वय में काम करेगा और अभिभावकों/अध्यापकों को योजना में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करेगा।
4. योजना के तहत ऑनलाइन स्क्रिनिंग टेस्ट फॉर्म भरने के लिए ग्रामीण पोस्ट मास्टर द्वारा अपने मोबाइल उपकरण का उपयोग कर पूर्ण रूप से मदद की जाएगी। ग्रामीण पोस्ट मास्टर को फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
5. स्क्रिनिंग टेस्ट उसी स्कूल में आयोजित किया जाएगा, जिस स्कूल में छात्र पढ़ रहा है अधिमानतः ऑनलाइन मोड में। स्क्रीनिंग टेस्ट को आयु के अनुरूप होना चाहिए अर्थात अलग-अलग आयु वर्ग के लिए अलग टेस्ट होना चाहिए जैसे 10-11, 12-13 और 13-15।
6. स्क्रिनिंग किए गए छात्रों को चयनित परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। चयन परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया जा सकता है।
7. इसके पश्चात प्रत्येक राज्य में 'सोची' केन्द्र की तर्ज पर खोले गए केन्द्रों में प्रतिभाशाली छात्रों को दाखिला दिया जाना चाहिए।
8. प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं, उन्हें उनके निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर, नवोदय विद्यालयों जैसे स्कूलों में और बाद में कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में मुफ्त छात्रावास की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

इस प्रयोजनार्थ ग्रामीण डाक नेटवर्क, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के साथ निकट समन्वय में काम करेगा। ❑

प्रतिभाओं से संपन्न ग्रामीण भारत

-अरविंद कुमार मिश्रा

आज हम एक ओर ग्रामीण भारत में वैज्ञानिक अनुसंधानों की उत्कृष्ट प्रथाओं को देख सकते हैं वहीं दूसरी ओर, खेलों से लेकर ललित कलाओं में गाँव और कस्बाई क्षेत्रों की प्रतिभाएं अपने पदचिह्नों से नया भारत गढ़ रही हैं। इस बदलाव ने शहर और गाँव के बीच ज्ञान आधारित अंतर को न सिर्फ पाटने का काम किया है, बल्कि ज्ञान, परंपरा, कौशल की समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित किया है। इस उपलब्धि के पीछे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिन्होंने दूरदराज में मौजूद प्रतिभाओं को संसाधन और मंच दोनों प्रदान किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चंद्रयान की सफलता पर बात करते हुए 'रॉकेट वुमन' ऋतु करिधाल के नाम का उल्लेख किया। लखनऊ के सामान्य परिवार में पली-बढ़ीं ऋतु चंद्रयान मिशन-3 की निदेशक हैं। इससे पहले वह मंगलयान मिशन की उप निदेशक रह चुकी हैं। आज़मगढ़ के सठियांव ब्लॉक के रहने वाले युवा वैज्ञानिक योगेश्वर नाथ मिश्रा ने दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया है। किसान परिवार में जन्में योगेश्वर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की उस टीम का हिस्सा हैं जिसने फास्ट लेज़र सीट इमेजिंग टेक्नोलॉजी की खोज की है। इसके आधार पर 2डी लेज़र कैमरे का अविष्कार हुआ है। इस तकनीक के सहयोग से आग की लपटों में उपस्थित सूक्ष्मकणों के रहस्यों से पर्दा उठेगा।

पानीपत के लोहारी गाँव के डॉक्टर सुरेन्द्र सिंह ने कृषि अवशेष से कम्पोस्ट निर्मित करने वाले सूक्ष्मजीव की खोज की है। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाज़ा जा चुका है। बुंदेलखंड के बंजर इलाकों में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाली गुरलीन चावला के नवाचार का ज़िक्र स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'मन की बात' कार्यक्रम में कर चुके हैं।

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। ई-मेल : arvindmbj@gmail.com

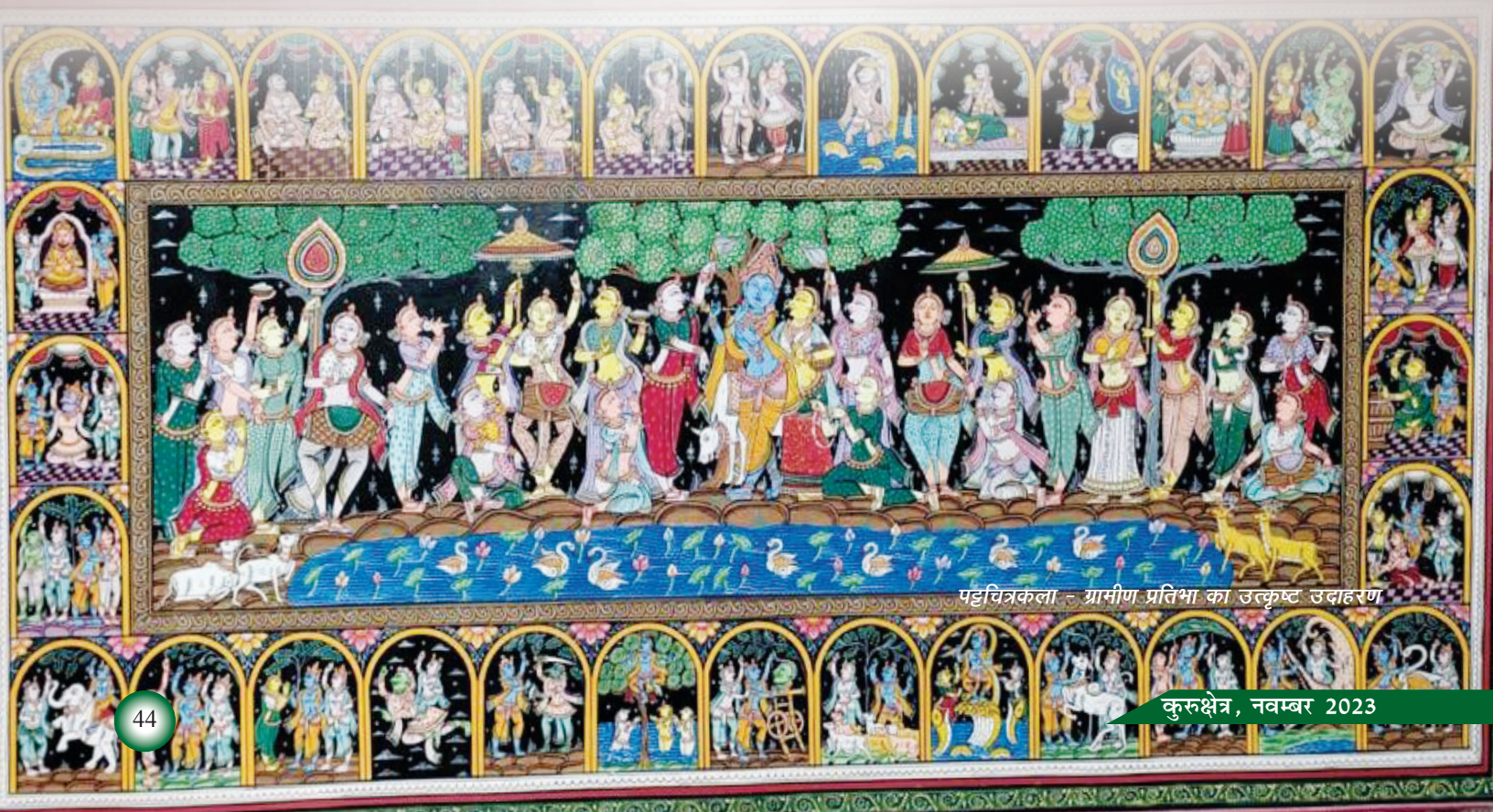

पट्टचित्रकला - ग्रामीण प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण

पंचायतों के नवाचार को मंच देता सरपंच संवाद

पंचायती राज संस्थाएं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रारंभिक इकाई हैं। ज़मीनी स्तर पर होने वाले नवाचार सिर्फ उस गाँव, पंचायत एवं क्षेत्र तक सीमित न रहें, इसके लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद ने 'सरपंच संवाद ऐप' प्रस्तुत किया है। इस ऐप के ज़रिए देश के सभी सरपंचों को एक मंच पर लाया जा रहा है। इसमें सरंपच अपनी पंचायतों के विकास एवं किसी समस्या के समाधान से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं। 'सरपंच संवाद' पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों में दक्षता संवर्धन को मज़बूती देता है।

ग्रामीण भारत से निकली प्रतिभाएं आज अर्थतंत्र ही नहीं विज्ञान, तकनीक, कला एवं संस्कृति समेत हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं की बदौलत ग्रामीण भारत से बदलाव के ऐसे वाहक सामने आए हैं, जो मानवीय जीवन के हर क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्रामीण जीवनशैली सदियों से ज्ञान एवं नवाचार की पोषक रही है।

छोटे शहर, कस्बे और गाँव में मौजूद तकनीक एवं नवोन्मेषी विचार आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। आज हम एक ओर ग्रामीण भारत में वैज्ञानिक अनुसंधानों की उत्कृष्ट प्रथाओं को देख सकते हैं। वहीं खेलों से लेकर ललित कलाओं में गाँव और कस्बाई क्षेत्रों की प्रतिभाएं अपने पदचिह्नों से नया भारत गढ़ रही हैं। इस बदलाव ने शहर और गाँव के बीच ज्ञान आधारित अंतर को न सिर्फ पाटने का काम किया है बल्कि ज्ञान, परंपरा, कौशल की समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित किया है। इस उपलब्धि के पीछे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जिन्होंने दूरदराज में मौजूद प्रतिभाओं को संसाधन और मंच दोनों प्रदान किए हैं।

अटल इनोवेशन मिशन : नवाचार की नर्सरी

2016 में शुरू किए गए अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के अंतर्गत स्थापित अटल टिंकरिंग (एटीएल) लैब छोटे शहरों और दूरदराज के गाँव में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए प्रयोगशाला की नर्सरी हैं। इससे शहर जैसी परीक्षण प्रयोगशालाएं और अवसंरचना सरकारी स्कूलों में उपलब्ध हो रही हैं। 700 ज़िलों में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से 60 प्रतिशत लैब सरकारी और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में हैं। अटल टिंकरिंग लैब में 12 लाख से अधिक नवाचार योजनाओं पर 75 लाख से अधिक विद्यार्थी संबद्ध होकर वैज्ञानिक समाधानों पर कार्य कर रहे हैं। एटीएल में 6वीं से 12वीं तक के स्कूली बच्चे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3डी प्रिंटिंग, फोटोटाइपिंग टूल, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिकी के बुनियादी अनुप्रयोग सीखते हैं।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस : नवोन्मेषी विचारों का मंच

1914 में स्थापित भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन (आईएससीए) देश के अलग-अलग क्षेत्रों की विज्ञान एवं नवाचार से जुड़ी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करती है। इसके वार्षिक आयोजन विभिन्न शहरों में स्थित विश्वविद्यालयों में होते हैं। यहां स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों के साथ अपने ज्ञान की साझेदारी का अवसर मिलता है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस-2020 का थीम 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी : ग्रामीण विकास' था। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 में दूरस्थ अंचल एवं आदिवासी समाज की वैज्ञानिक प्रथाओं व ज्ञान प्रणालियों पर केंद्रित 'आदिवासी विज्ञान कांग्रेस' का आयोजन किया गया।

इसरो ने स्कूली बच्चों के बीच बढ़ाई सहभागिता

2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021 में शुरू किया। इसमें 600 छात्रों ने अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत की। अहमदाबाद में स्थापित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) के ज़रिए इसरो समय-समय पर विज्ञान आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन देश के अलग-अलग हिस्से में करता रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान का पालना कहे जाने वाले पीआरएल की 'विज्ञान एक्सप्रेस' निबंध प्रतियोगिताएं युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसी क्रम में इसरो द्वारा 2019 में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को विशेष वरीयता दी जाती है। इसरो का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 'युविका' अनुसंधान दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रति वर्ष चयनित मानक नवाचारों में ग्रामीण भारत के प्रतिभागियों की उपस्थिति सबसे अधिक रही है।

चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

अवनी लेखरा ने महिलाओं की R2-10 मीटर एयर राइफल स्टैंड एसएच 1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता

प्राची यादव ने महिलाओं की पैरा कैनो केएल2 स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया।

सिमरन वत्स ने महिलाओं की 100 मीटर टी 12 स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।

ग्रामीण स्कूलों में पहुँच रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने देश के ग्रामीण हिस्से में विज्ञान एवं गणित के विषयों पर अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाया है। तमिलनाडु सरकार ने 'थिरानारी थेरवू थिट्टम' योजना शुरू की। इस योजना में राज्य के ग्रामीण स्कूलों में छात्र-छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक्स विषय की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है। आईआईटी, मद्रास इस योजना में विशेषज्ञता प्रदान करता है। आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन वाराणसी ज़िले के 100 गाँवों में ऑनलाइन माध्यम से मातृभाषा में विज्ञान एवं गणित की शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस अनुप्रयोग में विज्ञान एवं गणित की प्रत्येक अवधारणा को समझाने के लिए 3डी तकनीक की मदद ली जाती है। इसमें विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) विषय के शिक्षक शैक्षिक सामग्री पर कार्य करने के लिए कक्षाओं में वर्चुअल रियलिटी (वीआर) हेडसेट ले जाते हैं। इसमें छात्रों को सेंसर के माध्यम से पर्यावरणीय बदलावों की जानकारी दी जाती है। इसी क्रम में आईआईटी, मुम्बई ने ग्रामीण इलाकों में छात्राओं का रुझान विज्ञान विषयों की ओर बढ़ाने के लिए 'वूमन इन साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम रूरल पाट्र्स ऑफ इंडिया' (वाइज़) कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें 9वीं कक्षा से ही छात्राओं को विज्ञान विषयों में पढ़ाई और अवसरों की जानकारी दी जाती है। इसके लिए देश के दूरदराज के हिस्से से छात्राओं को आईआईटी परिसर का आवासीय भ्रमण भी कराया जाता है।

पिछले दशक तक विज्ञान विषयों (स्टेम) में छोटे शहरों और दूरस्थ प्रदेशों के बच्चों की घटती मौजूदगी चिंता का विषय थी। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संचालित इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी ऐप में 2000 से अधिक संस्थाएं पंजीकृत हैं। इसकी पहुँच देश के 359 ज़िलों और 600 कस्बों तक है। ऐसे समग्र प्रयासों की बदौलत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 2021-22 में लड़कियों की नामांकन दर 21 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई है।

छात्रवृत्ति एवं पुरस्कारों से प्रोत्साहन

बच्चों के वैज्ञानिक नज़रिए को समृद्ध करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च' (इंस्पायर) योजना शुरू की गई है। इसके तहत मानक (मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड

खेलों के वैश्विक मानचित्र में ग्रामीण प्रतिभाएं

भारत खेलों में युवा शक्ति के दम पर विश्व मानचित्र में तेज़ी से उभर रहा है। इसकी बानगी चीन के होंगझोऊ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में दिखी। यहां भारतीय एथलीटों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहली बार 100 से अधिक पदक (28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य) अपने नाम किए। इस कामयाबी के पीछे ग्रामीण भारत की वह प्रतिभाएं हैं, जो महानगरों से इतर छोटे गाँवों और कस्बों में रहकर खेल मैदानों में पसीना बहाती हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के इकलौता गाँव की पारुल चौधरी ने 5 हज़ार मीटर दौड़ और बहादुरपुर गाँव की अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक (जेवेलिन थ्रो) प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। मध्य प्रदेश के देवास के अमलताज गाँव की नेहा ठाकुर ने एशियाई खेल में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा (सेलिंग) में रजत पदक जीत देश को गौरवान्वित किया। गाँव की पगडंडियों से नेहा के सपनों को मध्य प्रदेश वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी और भोपाल स्थित नेशनल सेलिंग स्कूल ने उड़ान दी। उनकी यह सफलता इंडियन नेवी, याटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की खेलों को लेकर प्रतिबद्धता का परिणाम है। फरीदाबाद के पृथला गाँव में पगडंडी में दौड़ लगाते हुए प्रीति लांबा ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर साबित कर दिया है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को यदि अवसर मिले तो आसमान मुट्ठी में कर सकती हैं। 300 मीटर स्टेपलचेस में कांस्य पदक जीतने के बाद अब प्रीति की नज़र 2024 ओलंपिक पर है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में अपना जौहर दिखा रहे गाँव से निकले युवा एथलीटों की यह फेहरिस्त काफी लंबी है।

'खेल' राज्य सूची का विषय है। ऐसे में ग्राम स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने में राज्यों की अहम भूमिका होती है। केंद्र राज्य सरकारों को अवसंरचना विकास के साथ ही खेलों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में ज़रूरी मदद मुहैया कराता है। इंफाल (मणिपुर) में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 29 मार्च, 2022 तक युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय 247 खेल अकादमियों को मान्यता प्रदान कर चुका है।

इन एथलीट की कामयाबी भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओलंपिक संघ, सार्वजनिक उपक्रम और रेलवे समेत उन सभी को उत्साहित करने वाली है, जो देश के कोने-कोने में युवा खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के ज़रिए मंच और संसाधन मुहैया करा रहे हैं। 2018 से शुरू 'खेलो इंडिया' की योजनाओं के साथ ही राज्यों की विभिन्न खेल प्रतिभाओं को तराशने में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की अहम भूमिका है। बेंगलुरु, कोलकाता, गांधीनगर, मुंबई, भोपाल, सोनीपत, लखनऊ, चंडीगढ़, गुवाहाटी और इंफाल में स्थित क्षेत्रीय केंद्रों के अलावा 'साई' के अकादमिक केंद्र पटियाला, तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं। 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम के ज़रिए ग्रामीण और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए मलखम्ब, कालारीपयट्टू, थांग-ता, गतका, योगासन, सिलंबम जैसे प्राचीन खेलों को शामिल किया गया है। इन पारंपरिक खेलों के पदक विजेताओं को 10 हज़ार रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल समेत कई सार्वजनिक उपक्रमों ने खेल संवर्धन बोर्ड स्थापित किए हैं। यह सार्वजनिक उपक्रम एथलीटों को छात्रवृत्ति और रोज़गार भी मुहैया कराते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) योजना के तहत, प्रतिभाशाली बच्चों का चयन 8-14 आयु वर्ग में किया जाता है और उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) केंद्रों में एक अच्छी तरह से संरचित प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है।

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रतियोगिताएं

युवाओं को खेल में अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर देने और उसे निखारने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं-

नेशनल क्रास कंट्री चैंपियनशिप, नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलीट मीट, इंडियन ओपन रेस वॉकिंग, इंडियन ओपन थ्रो कम्पीटिशन, इंडियन ओपन जंप कम्पीटिशन, नेशनल ओपन 400 मीटर चैंपियनशिप, इंडियन ग्रांड प्रिक्स सीरीज़, नेशनल फेडरेशन कप जूनियर (यू-20) एथलीट चैंपियनशिप, नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलीट चैंपियनशिप, नेशनल इंटर स्टेट एथलीट चैंपियनशिप, चारों ज़ोन में एथलीट चैंपियनशिप, नेशनल ओपन (यू-23) एथलीट चैंपियनशिप।

जीवन में उत्साह भरती लोक कलाएं

कलाओं का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीनकाल से लेकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस अत्याधुनिक युग में कलाएं निर्विवाद रूप से मानवीय जीवन का अहम हिस्सा हैं। जनसांख्यिकी एवं भौगोलिक विविधताओं से युक्त भारत को लोककलाएं एक सूत्र में पिरोने का काम करती हैं। लोककलाओं को मुख्य रूप से लोकनृत्य, लोकनाट्य (रंगकर्म) एवं चित्रकलाओं में वर्गीकृत किया जाता है। ललित कलाओं में ग्रामीण जीवन के सामाजिक परिवेश, आत्मनिर्भरता एवं पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली की गहरी छाप होती है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से लेकर उत्तर-पूर्व के राज्यों का जनजातीय समाज पारंपरिक चिकित्सा एवं औषधीय ज्ञान से युक्त है। इनके नवाचार एवं प्रथाएं मानवीय जीवन के समक्ष मौजूद चुनौतियों में समाधानपरक राह दिखाती हैं।

नॉलेज) पुरस्कार कार्यक्रम संचालित किया जाता है। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय-स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता (एनएलईपीसी) के दौरान 441 छात्र-छात्राओं ने अपने नवाचारों की प्रस्तुति दी। इनमें स्वच्छता, अक्षय ऊर्जा, महिला सुरक्षा, मेडिकल डिवाइज़ से जुड़े 60 चयनित नवाचारों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह के हाथों सम्मानित किया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान 7 लाख से अधिक नवोन्मेषी विचार प्रस्तुत किए गए। इसमें 715 ज़िलों (124 आकांक्षी ज़िला) का प्रतिनिधित्व हुआ। इसमें उपस्थिति दर्ज कराने वाले 83 प्रतिशत स्कूल ग्रामीण भारत से संबद्ध हैं। वर्ष 2020-21 में इस कार्यक्रम को देश भर के 2 लाख से अधिक मध्य और उच्च विद्यालयों से 6.53 लाख विचार प्राप्त हुए। इसमें सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेषी विचारों को ज़िला, राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में प्रदर्शित करने के लिए चुना जाता है।

ग्रामीण इलाकों में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी अहम है। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ आईआईटी, मुंबई और आईआईटी, खड़गपुर ज्ञान आधारित साझेदारी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड कार्यक्रम का हर साल आयोजन किया जाता है। गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम, एकेडमिक एक्सिलेंस स्कॉलरशिप तथा डिफेंस सर्विस एकेडमिक स्कॉलरशिप शुरू की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष जनजातीय समाज के 750 बच्चों को एम.फिल एवं पीएचडी अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में वनवासी समाज के 20 प्रतिभाशाली बच्चों को प्रति वर्ष विदेश में पढ़ने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

मानक क्लबों की स्थापना

भारतीय मानक ब्यूरो ने 2021-22 में स्कूलों में 1037 मानक क्लब स्थापित किए हैं। बीआईएस का उद्देश्य इन मानक क्लबों के माध्यम से कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के विज्ञान के छात्रों को गुणवत्ता और मानकीकरण की अवधारणा से अवगत कराना है। मानक क्लबों के तत्वावधान में प्रश्नोत्तरी, मानक लेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन आदि गतिविधियों का संचालन भी शुरू किया गया है। कोई भी नवाचार तब टिकाऊ बनता है जब वैज्ञानिक परीक्षणों से वह प्रमाणित होता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विभिन्न वस्तुओं से जुड़े 22 हज़ार से अधिक मानक विकसित किए गए हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हर वस्तु से जुड़ा एक निश्चित मानक है। स्कूलों में स्थापित मानक क्लब एक ओर जहां इन मानकों के विषय में जागरूकता लाने का कार्य करते हैं वहीं इनके पीछे की वैज्ञानिक दृष्टि से उन्हें परिचित कराते हैं।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहल

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य में जुटे युवाओं के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा नवोन्मेषी योजनाएं संचालित की जाती हैं। इसी क्रम में सीएसआईआर द्वारा कृषि उत्पादों से जुड़ी 82 तकनीकों का प्रसार किया जा रहा है। इसकी बदौलत किसान मेंथा, मीठी तुलसी, खस, ज़िरेनियम, लैवेंडर, काली हल्दी, काली अदरक से लेकर गुलदाउदी, गैलार्डिया जैसे फूलों की खेती

लोककलाओं पर केंद्रित संस्कृति मंत्रालय की योजनाएं

- शताब्दी महोत्सव
- वर्षगांठ योजना
- कला संस्कृति विकास योजना
- संग्रहालय का विकास
- पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों का विकास
- वैश्विक जुड़ाव व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

के लिए आगे आए हैं। कृषि फसलों के साथ ही सीएसआईआर ने इत्र, रेडी टू इट फूड और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी कई तकनीक विकसित की हैं, जो गाँवों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संचार कर रही हैं।

लोककलाओं को प्रोत्साहन

लोककलाएं ग्रामीण भारत की आत्मा हैं। इनके प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ ही जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा देशभर में कला, संस्कृति एवं शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। स्थानीय लोककलाओं को बढ़ावा देने वाले 2015 से अब तक 12 राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। इसी क्रम में संस्कृति मंत्रालय के सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग : सीसीआरटी) द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इनमें **सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति** योजना काफी मददगार है।

सीसीआरटी का मुख्य ज़ोर स्कूली बच्चों में ललित कलाओं को लेकर छिपी प्रतिभा को निखारने का है। लोककलाओं को मिले ऐसे प्रोत्साहन से पुतलियों के निर्माण जैसी विलुप्त कलाएं पुनर्जीवित हो चुकी हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से स्कूली बच्चों में रचनात्मकता विकास से जुड़ा कार्यक्रम है। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा श्रीनगर, वड़ोदरा, गोवा, वाराणसी, त्रिशुर, पुडुचेरी, रांची, बेंगलुरु, गुवाहाटी में स्थित क्षेत्रीय केंद्रों में लोक कलाकारों पर केंद्रित सांस्कृतिक आयोजन के साथ पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

साहित्य सृजन में ग्रामीण प्रतिभाएं

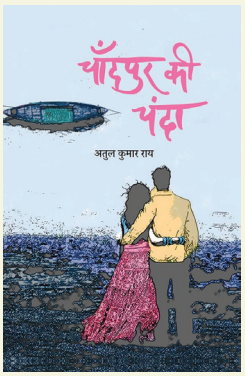

विज्ञान, खेल एवं लोककलाओं के साथ ही साहित्य सृजन में ग्रामीण भारत की प्रतिभाएं केंद्र में हैं। साहित्य अकादमी द्वार युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी युवा सम्मान दिया जाता है। यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। वर्ष 2023 के लिए पुरस्कृत अनेक रचनाओं चांदपुर की चंदा (हिंदी), तिरुकरतियल (तमिल), मन मोरा तोरा (कहानी), लले निलवाठ चाले न् जां (कविता) की विषयवस्तु ग्रामीण भारत और उसके सामाजिक सरोकार रहे हैं।

जनजातीय चित्रकला

देश की प्रमुख जनजातीय चित्रकला में तंजौर, मधुबनी (बिहार), गोंड चित्रकला (मध्यप्रदेश), पट्टचित्र (ओडिसा), वरली चित्रकला (महाराष्ट्र), किवाड़ी चित्रकारी (राजस्थान) शामिल हैं। जनजातीय चित्रकला मुख्य रूप से आदिवासी सभ्यताओं व संस्कृति की प्रतिनिधि होती हैं।

जनजातीय मंत्रालय की पहल

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राईफेड) द्वारा जनजातीय समाज द्वारा तैयार किए गए आभूषण, वस्त्र व अन्य सहायक सामग्रियों को ऑनलाइन बाज़ार उपलब्ध कराया जाता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की गो ट्राइबल पहल 700 जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सहायक साबित हुई है। जनजातीय समाज के नवाचार एवं उनकी जीवनशैली को संरक्षण एवं सवर्धन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को **जनजातीय गौरव दिवस** मनाने का निर्णय लिया गया।

देशभर में स्थापित जनजातीय संग्रहालयों के ज़रिए आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सरकार द्वारा लोककलाओं के विकास से संबद्ध संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है। आदिवासी-बहुल राज्यों में आदिवासी नृत्य एवं लोकरंग महोत्सव से दूरस्थ अंचल में रहने वाले लोक कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय समाज की प्रथाओं के नवोन्मेषी उपायों के संवर्धन के लिए ट्राइबल डिजिटल डॉक्यूमेंट रिपॉज़िटरी भी स्थापित की गई है।

भारत प्राचीनकाल से स्थानीय ज्ञान का भंडार रहा है। ग्रामीण जनजीवन से निकली प्रतिभाएं एक बार फिर वैज्ञानिक और पर्यावरणीय समाधान प्रस्तुत करने के साथ ही खेलों एवं लोककलाओं के ज़रिए मानवीय जीवन को समृद्ध कर रही हैं। खास बात यह है कि ज्ञान एवं कौशल की इस विद्या की अगुआई युवाओं के हाथों में है। ❑

सत्यमेव जयते

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ई-रिसोर्स एग्रीगेटर (ईआरए)

के एम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित

सरकार के प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान से जुड़ने और उसके ई-प्रकाशनों के विक्रय का सुनहरा अवसर

विशेषताएं :-

- प्रकाशन विभाग की लोकप्रिय ई-पुस्तकें और ई-पत्रिकाएं उपलब्ध कराने का अवसर।
- प्राप्त राजस्व में 30% की निश्चित हिस्सेदारी।
- किसी निवेश की आवश्यकता नहीं।
- मात्र 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क।

अधिक जानकारी के लिए देखें –
www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें
फोन : 011 24365609
ईमेल : businesswng@gmail.com
पता : व्यापार स्कंध, कमरा संख्या–758, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अँग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अँग्रेज़ी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएँ मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है-
संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन : 011-24367453** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत ..... पत्रिका ..... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) .....

पता : .....

..... ज़िला ..... पिन .....

ईमेल ..... मोबाइल नं. .....

डीडी/पीओ/एमओ सं. ..... दिनांक ..... सदस्यता सं. .....

कुल पृष्ठ : 52
आई.एस.एस.एन. 0971-8451
प्रकाशन की तिथि : 1 नवम्बर 2023
डाक द्वारा जारी होने की तिथि : 5-6 नवम्बर, 2023

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23
Licenced under U (DN)-54/2021-23
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.
DL(DS)-49/MP/2022-23-24 (Magazine Post)

THE STUDY

By MANIKANT SINGH

BE A THINKING CREATURE

OFFLINE/ONLINE COURSE AVAILABLE

HISTORY (OPTIONAL)

GET IT ON Google play

Scan to Download Our Application

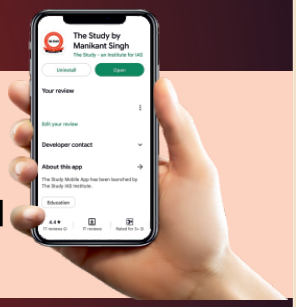

OUR STUDY MATERIALS FOR PRELIMS

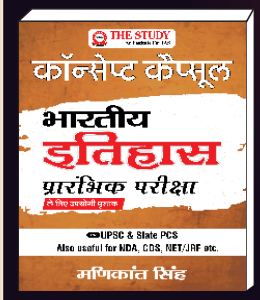

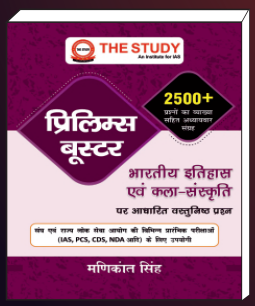

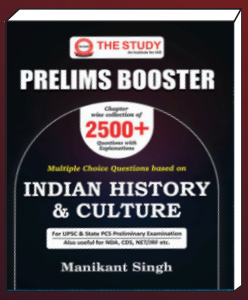

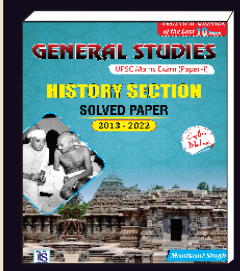

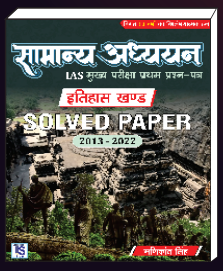

and many more...

CONTACT US

9999516388
8595638669

210, Virat Bhawan, 2nd Floor,
Near Post Office Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

प्रकाशक और मुद्रक: अनुपमा भटनागर, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
मुद्रक : संदीप प्रेस, सी105/2, इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-1, नारायणा, नई दिल्ली-110028 वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना